



मध्य प्रदेश राज्य  
के  
वन कार्यालयों/वनमण्डलों की कार्यप्रणाली का  
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन  
वर्ष 2007-08

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम  
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

## प्राक्कथन

वन विभाग, म.प्र. शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग है, एवं इसके आहरण एवं संवितरण अधिकारी इसके राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने दायित्व का उचित ढंग से निर्वहन कर सकें इसके लिए शासन ने संहिताएँ, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। अतएव वन विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की कार्य प्रणाली एवं नियमों/प्रक्रियाओं के पालन में पाई गई कमियों पर इस कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष एक वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाता है ।

वन विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर आधारित, वर्ष 2007-08 का यह वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन दो भागों में तैयार किया गया है। भाग-एक में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रेषित लेखाओं/अभिलेखों की जाँच के दौरान पाई गई कमियाँ/त्रुटियाँ/अनियमितताएं दर्शाई गई हैं एवं भाग-दो में वन कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान इनकी कार्य प्रणाली से संबंधित संज्ञान में आई विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं को दर्शाया गया है।

वन विभाग की कार्य प्रणाली में नियमों/विनियमों/प्रक्रियाओं आदि का अनुपालन करने में और विशेषकर मासिक वन लेखों की निर्धारित दिनांक तक इस कार्यालय में प्राप्ति सुनिश्चित कराने एवं अंक मिलान कार्य को नियमानुसार पूर्ण करते रहने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि यह समीक्षा प्रतिवेदन उन्हें अनियमितताओं से बचने को प्रेरित करने में सहायक होगा।

स्थान :- ग्वालियर

दिनांक :- 22.12.2008

*महालेखाकार*

# कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम मध्य प्रदेश ग्वालियर

वन विभाग की कार्य प्रणाली की वार्षिक समीक्षा वर्ष 2007-08

—: प्रस्तावना :—

वन विभाग की संरचना अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक विभाग प्रमुख है, जिनके अधीन वर्ष 2007-08 में भोपाल में स्वंत्रत इकाई के रूप में निम्नलिखित अधिकारियों के कार्यालय थे :—

1. मुख्य वन संरक्षक (विकास)
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)
3. मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
4. परियोजना संचालक (वानिकी परियोजना)
5. वनमण्डलाधिकारी, राजधानी परियोजना
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार एवं लोक वानिकी)
7. मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना)

उक्त कार्यालयों के अतिरिक्त 16 वनवृत्त (सामान्य) के कार्यालय थे, जिनके अधीन निम्नानुसार वन कार्यालय रहे —

1.	वनमण्डल (क्षेत्रीय)	59
2.	वनमण्डल (उत्पादन)	16
3.	वनमण्डल (सामाजिक वानिकी)	12
4.	वनमण्डल (कार्य आयोजना)	01
5.	वनवृत्त (कार्य आयोजना)	16
6.	वनवृत्त (अनुसंधान एवं विस्तार)	07
7.	वनवृत्त (वन्यप्राणी)	02
8.	राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण	12
9.	वन विद्यालय/महाविद्यालय	05
10.	मुख्य वनसंरक्षक (कार्य आयोजना)	01
	योग	<u>131</u>

इस प्रकार कुल (1+7+16+131) 155 वन कार्यालय कार्यरत रहे।

म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 378/आर 847/चार/ब-1/ 2006 दिनांक 07.04.06 द्वारा वन विभाग के निम्नलिखित उद्देश्य शीर्षों से संबंधित आहरणों को दिनांक 1 जुलाई 2006 से कोषालय के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया था

- 11. वेतन
- 21. यात्रा भत्ता
- 22. कार्यालय व्यय
- 33. वाहनों का अनुरक्षण
- 35. विज्ञापन एवं प्रचार
- 41. छात्र वृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ
- 2071. पेंशन (पूर्वानुमानित एवं अनंतिम पेंशन और सेवा निवृत्ति भुगतान)
- 8009. सामान्य भविष्य निधि
- 8011. शासकीय कर्मचारी बीमा (परिवार कल्याण निधि)

जिसके परिणामस्वरूप समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा माह जुलाई 2006 से उक्त शीर्षान्तर्गत लेन-देन कोषालय के माध्यम से किया जा रहा है। मात्र दो आहरण संवितरण अधिकारियों सामान्य वन मण्डल औबेदुल्लागंज एवं वन विद्यालय अमरकंटक को वर्ष 2006-07 के लिए उक्त शीर्षान्तर्गत देयकों के भुगतान सीधे बैंक के माध्यम से (पूर्व की भांति) करने की अनुमति म.प्र. शासन वित्त विभाग के आदेश पृ.क्र. /620/आर-681/चार-ब-1/06 दिनांक 17.07.06 द्वारा प्रदान की गई थी जिसे मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्र.449/आर. 484/चार/ब-1/07 दिनांक 13.04.2007 द्वारा वित्त वर्ष 2007-08 के लिए भी प्राभावशील किया गया।

इस प्रकार उक्त शीर्षान्तर्गत किये गये लेन देनों का लेखा कोषालय लेखे के माध्यम से तथा इसके अतिरिक्त शीर्षान्तर्गत किये गये लेनदेनों का लेखा पूर्ववत् महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किया जा रहा है।

#### 1. भाग-एक (लेखा)

पूर्व वर्षों में एवं वर्ष 2007-08 में वन कार्यालयों/मण्डलों द्वारा भेजे जाने वाले मासिक लेखों में पाई गई विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं/त्रुटियों, मासिक लेखा विलम्ब से प्रेषित करने तथा विभागीय आकड़ों का पुनर्मिलान न करने/विलम्ब से करने विषयक संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को समय-2 पर लेख किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त वन वृत्त स्तर पर की गई कार्यशालाओं के माध्यम से वन लेखाओं में हो रही त्रुटियों को दूर/निराकृत करने हेतु वन कार्यालयों का ध्यान आकर्षित किया गया है। यद्यपि पूर्व की अपेक्षा लेखाओं में सुधार हुआ है। तथापि अभी भी कुछ त्रुटियां पूर्ववत् की जा रही हैं। जिनमें सुधार की आवश्यकता है।

## 1.1 मासिक लेखों की प्रस्तुति में विलम्ब।

वन वित्तीय नियमावली के नियम 219 के अनुसार मासिक लेखे अगले माह की 12 वीं तारीख तथा माह मार्च का लेखा 18 वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। विलम्ब की स्थिति में वन वित्तीय नियमावली के नियम 225 के अनुसार विलम्ब के कारणों से महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी कारणों सहित बिलम्ब से लेखा भेजने की सूचना अप्राप्त रही तथा महालेखाकार कार्यालय में निर्धारित तिथि तक लेखा उपलब्ध कराने में उदासीनता बरती गई।

वर्ष 2007-08 के कुल 1860 मासिक लेखों में से 732 लेखे निर्धारित दिनांक उपरांत प्राप्त हुए जिसमें से 73 लेखे निम्नानुसार 6 से 10 दिन देरी से प्राप्त हुए।

विलम्ब अवधि	प्राप्त लेखों की संख्या
3 से 5 दिन	659
6 से 10 दिन	73
कुल योग	732

समीक्षा के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि कुछ वन कार्यालयों से कई माह के लेखे विलम्ब से प्राप्त हुए। वन कार्यालय जिनसे तीन या तीन से अधिक माहों के मासिक लेखे विलम्ब से प्राप्त हुए, के नाम "परिशिष्ट "क" में दिए गए हैं। प्रत्येक माह देरी से प्राप्त लेखों की जानकारी से सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग, वन विभाग एवं मुख्य वन संरक्षक (वित्त/विभाग) को अवगत कराया गया है।

## 1.2 विलम्ब से लेखा प्राप्त होने , संबंधित माह के लेखे से असम्मिलित किया जाना।

वन संरक्षक, शिवपुरीका माह दिसम्बर 2007 का लेखा अनुवर्ती माह की दिनांक 22.01.2008 को प्राप्त होने से, सम्बद्ध माह (12/07) में शामिल नहीं किया गया तथा उक्त लेखा माह जनवरी 2008 के लेखे में शामिल किया गया।

लेखा असम्मिलित किये जाने की जानकारी से सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग एवं वित्त विभाग को अवगत कराया गया है।

## 1.3 विभागीय आंकड़ों का महालेखाकार के आंकड़ों से मिलान।

वन वित्तीय नियमावली के नियम 235 (ब) के अनुसरण में समस्त वन वृत्तों में होने वाले वन विभाग के राजस्व एवं व्यय लेखाशीर्ष का महालेखाकार के कार्यालय में अंकित आंकड़ों का समाधान का उत्तरदायित्व वन संरक्षक का होगा। इस हेतु वे स्वयं विभागीय लेखों में दिये आंकड़े तथा महालेखाकार के कार्यालय के आंकड़ों का समाधान कराने हेतु कार्यवाही करेंगे। यह समाधान प्रतिमाह होना चाहिये “

वर्ष 2007-08 में इस विषयक उक्त नियम के प्रकाश में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गई हैं :-

1. विभिन्न वनवृत्त एवं उनके अधीनस्थ वन कार्यालयों ने प्रत्येक माह पुनर्मिलान न करते हुए अनेक माहों के आंकड़ों का पुनर्मिलान एक साथ किया। तीन या अधिक माह के आंकड़ों का पुनर्मिलान एक साथ करने वाले वन कार्यालयों का विवरण परिशिष्ट “ख” में दर्शाया गया है। विवरण से स्पष्ट है कि, सभी 152 वन कार्यालयों द्वारा वन वित्तीय नियमावली के उक्त नियम का उल्लंघन करते हुये प्रत्येक माह पुनर्मिलान कार्य नहीं किया गया।
2. वर्ष के दौरान अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) को समय-समय पर लंबित अंक मिलान कार्य की स्थिति से अवगत कराते हुये समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अंक मिलान कार्य नियमानुसार पूर्ण करने हेतु निर्देशित किये जाने के संबंध में लेख किया गया। इसके अतिरिक्त वन संरक्षक स्तर पर भी वृत्त के सभी (डी.डी.ओ.) को उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु भी सूचित किया गया है। इसी क्रम में इस कार्यालय के अर्द्ध शासकीय पत्र क्र./व.सं.1/अंक मिलान/ 2007-08/527, दिनांक 26.03.2008 के माध्यम से उनके अधीनस्थ वन कार्यालयों के लंबित अंक मिलान कार्य को दिनांक 31.05.2008 तक पूर्ण कराने हेतु सूचित किये जाने के उपरान्त भी वर्ष 2007-08 में 22 कार्यालयों द्वारा पुनर्मिलान कार्य पूर्ण नहीं किया गया। विवरण परिशिष्ट “ग” में दर्शाया गया है।

#### 1.4 वन विभाग द्वारा विक्रयकर की प्राप्ति को वन राजस्व के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना।

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन 2002-03 एवं 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 की कंडिका क्रमशः 4.6 1.4 एवं 1.5, 1.4 में सरकारी लेखाकरण नियम, 1990 के नियम 29 के प्रावधानों का संदर्भ देते हुए विभाग द्वारा इमारती लकड़ी, बाँस, खैर तथा छोटे वनोपजों की बिक्री से प्राप्त विक्रय कर की राशि को वनराजस्व लेखा मुख्य शीर्ष-0406 के नीचे विभिन्न लघुशीर्षों के विस्तृत शीर्ष " विक्रय कर से प्राप्ति" के अंतर्गत लेखाबद्ध कर विभाग की आय माना जाना तथा प्राप्त विक्रय कर का वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतान करते समय वन विभाग के राजस्व व्यय लेखा मुख्य शीर्ष-2406 के नीचे विभिन्न लघुशीर्षों के विस्तृत शीर्षान्तर्गत लेखाबद्ध कर विभाग का व्यय माना जाना जैसी वित्तीय अनियमितता की ओर विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया था ।

वर्ष 2007-08 के राजस्व/व्यय के बजट अनुमान पुस्तिका क्रमशः खण्ड-2 एवं मांग संख्या 10 तथा वन कार्यालयों से प्राप्त मासिक लेखों का अवलोकन करने पर उक्त अनियमितता यथावत् पायी गयी । वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान एवं वन कार्यालयों द्वारा प्रेषित मासिक लेखों के आधार पर इस कार्यालय द्वारा उक्त प्राप्ति/व्यय शीर्षान्तर्गत संकलित राशियां निम्नानुसार हैं:-

बजट शीर्ष	बजट अनुमान (रूपये हजार में)	इस कार्यालय के आंकड़े (रूपये हजार में)
0406-वन राजस्व (विक्रयकर)	52,75,43	54,45,74
2406-वानिकी तथा वन्य जीवन (करों एवं रायल्टी का भुगतान)	54,93,85	53,18,84

#### 1.5 कोषालय में वन प्रेषण (मुख्य शीर्ष 8782-103-01) के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के अन्त में लम्बित शेष।

वन वित्तीय नियमावली के नियम 59 एवं 67 में वन कार्यालयों द्वारा कोषालय में प्रत्येक माह मु.शी. 8782-103 वन प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत प्रेषित राशियों का मिलान कोषालय से प्राप्त समेकित कोषालय रसीद (सी.टी.आर.) से कर इसका समाधान पत्रक एवं सी.टी.आर.मासिक लेखे के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त कोषालयों एवं महालेखाकार कार्यालय, दोनों ही स्तर पर लेखांकन का कार्य कम्प्यूटरीकृत होने के कारण यह नितांत आवश्यक हो गया है कि, वन मण्डल अधिकारी द्वारा प्रेषित लेखे में सूचित प्रेषण सूची पर अंकित चालान क्रमांक एवं ट्रेजरी द्वारा प्रेषित सूची एवं संलग्न चालानों पर अंकित चालान क्रमांक

इस प्रकार हो कि उन चालान क्रमांकों की कम से कम संबंधित माह में दोहराव (रिपिटेशन) न हो, जिससे कि कम्प्यूटर प्राणाली में प्रेषणलेखा तैयार करते समय वन मण्डल द्वारा मासिक लेखे में सम्मिलित चालान एवं सी.टी.आर. में अंकित चालान क्रमांकों का आपस में मिलान हो सके। साथ ही चालानों पर वन मण्डल का नाम अथवा कोड नं. अंकित किया जाना चाहिए। किन्तु वन मण्डलों को बार-बार लिखे जाने के पश्चात भी उक्त प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है, परिणामस्वरूप वन प्रेषण शीर्ष में रु.24.37 करोड़ की राशि समायोजन हेतु लंबित है।

अतएव इस ओर और अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

**1.6 वन मण्डलों द्वारा 8782-103-02 वन धनादेशों से संबंधित समाधान-पत्रक समय पर न भेजा जाना।**

म.प्र. कोष संहिता भाग एक के नियम 506 के अनुसार प्रत्येक माह कोषालय में आहरण हेतु कोषालय पर जारी धनादेशों एवं इनकी राशियों का मिलान कोषालय से प्राप्त धनादेश जारी प्रमाण-पत्रक एवं समाधान पत्रक अनुवर्ती माह की 15 तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में प्रेषित किया जाना चाहिए। परन्तु वन मण्डलों द्वारा उक्त अभिलेख महालेखाकार कार्यालय को अत्यधिक विलम्ब से भेजे जा रहे हैं। इस कारण शासकीय धन के गबत/हानि एवं लेखा के वर्गीकरण की त्रुटि पर समुचित नियंत्रण रख पाना संभव नहीं है।

**1.7 विभागीय भविष्य निधि पर देय ब्याज का लेखे में समायोजन न किया जाना।**

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 की कंडिका क्रमशः 1.6 1.7 एवं 1.6 के माध्यम से विभाग के सभी कार्यालयों में कार्यरत समूह "घ" कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि खातों में जमा राशि पर वार्षिक ब्याज की गणना कर देय ब्याज की राशि उक्त कर्मचारियों के खातों में क्रेडिट करने तथा मुख्य लेखा शीर्ष 2049-ब्याज संदाय,03-अल्प बचतों, भविष्य निधि आदि पर ब्याज, 104-राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज, 4033-विभागीय भविष्य निधियों पर ब्याज को डेबिट करने हेतु प्रस्ताव विभागाध्यक्ष द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, म.प्र. ग्वालियर को प्रेषित करने का लेख किया गया था। ताकि विभागीय भविष्य निधि में जमा राशियों पर देय ब्याज का समायोजन संबंधित वित्तीय वर्ष के लेखे में किया जा सके।

वर्ष 2007-08 के लिये कुल 155 वन कार्यालयों में से मात्र 04 कार्यालयों से 3897056 का अंतरण प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसका समायोजन जर्नल प्रविष्टि के माध्यम से वर्ष 2007-08 के लेखे में किया गया। इसके अतिरिक्त विभागीय भविष्य निधि से संबंधित कोई ब्याज पत्रक प्राप्त नहीं हुआ।

अपेक्षा की जाती है इस समायोजन हेतु प्रतिवर्ष अन्तरण प्रस्ताव आवश्यक रूप से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, म.प्र.ग्वालियर को निर्देश जारी किये जायेंगे।

**विवरण परिशिष्ट घ पर दर्शित है।**

### **1.8 वन विकास उपकर राशि का वन विकास निधि में अंतरण**

वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 की समीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से, विभिन्न वन कार्यालयों द्वारा लेखा शीर्ष 0406-वानिकी और वन्य जीवन 800-अन्य प्राप्तियां (0236)-वन विकास उपकर से प्राप्तियां के अंतर्गत लेखाबद्ध योग्य राजस्व को अन्य शीर्षान्तर्गत लेखाबद्ध करने की त्रुटि की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। यह भी लेख किया गया था कि, उक्त त्रुटि के कारण उक्त शीर्ष के अंतर्गत कम राशि लेखाबद्ध होने का प्रतिकूल प्रभाव वनों के विकास हेतु स्थापित वन विकास निधि पर होता है एवं वनों के विकास के लिए व्यय हेतु कम राशि उपलब्ध हो पाती है।

वर्ष 2007-08 में उक्त शीर्षान्तर्गत महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखाबद्ध/संकलित राशि रूपये 15.85 करोड थी। वर्ष 2006-07 में प्राप्त वन विकास उपकर की राशि रूपये 14.37 के वन विकास निधि में अंतरण (जमा) के संबंध में इस कार्यालय द्वारा आवधिक समायोजन की प्राप्ति हेतु म.प्र. शासन वन विभाग को अनेक पत्र जारी करने के उपरांत भी स्वीकृति प्राप्त न होने, न ही पत्रोत्तर प्राप्त होने के फलस्वरूप वन विकास उपकर की राशि का वन विकास निधि में अंतरण नहीं किया जा सका।

### **1.9 वन कार्यालयों द्वारा "कोषालय में प्रेषण" से संबंधित चालानों पर त्रुटिपूर्ण लेखा शीर्ष अंकित करना।**

वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 के प्रतिवेदन की कंडिका 1.12 एवं 1.9 में वन वित्तीय नियमावली के नियम 62 एवं म.प्र. कोष संहिता भाग-एक के नियम 501 की ओर विभाग का ध्यान आकर्षित करते हुए इनके अनुसरण में समस्त वन कार्यालयों से कोषालय में चालान द्वारा प्रेषित योग्य राशि लेखा शीर्ष 8782-103-वन प्रेषण, 01-कोषालय में प्रेषण के अंतर्गत प्रेषित कराने का लेख किया गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में विभिन्न वनवृत्त कार्यालयों में लेखा संबंधी सम्पन्न कार्यशालाओं में भी उक्त प्रक्रिया विषयक अवगत कराया गया था कि :-

- (1) शासन की आय दो लेखाओं अर्थात् वन लेखा एवं कोषालय लेखा के माध्यम से लेखाबद्ध न होकर मात्र एक (वन लेखा) के माध्यम से लेखाबद्ध हो तथा शासन की आय एक बार काल्पनिक रूप से न बढ़े।

लेकिन वर्ष 2007-08 के लेखे में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल द्वारा क्रमशः माह फरवरी 2008 में राशि रु.15,75,86,312 तथा माह मार्च 2008 में राशि रु. 15,00,00,000/- को वन मासिक लेखे में मुख्य शीर्ष 8782-103-01 (कोषालय में प्रेषण) में वर्गीकृत/लेखांकित की गयी थी जबकि वास्तव में उक्त राशियां अंतिम रूप से कोषालय लेखों के माध्यम से मुख्य शीर्ष "0406-01-800 अन्य प्राप्तियां (म.प्र. वन विकास निगम से प्राप्त लीज रेन्ट) के अंतर्गत लेखाबद्ध हो चुकी थी जिसके परिणामस्वरूप राशियों के दोहरे लेखांकन होने से रोकने हेतु जांच उपरांत, उक्त राशियों को वन लेखे से हटाया गया।

- (2) वन कार्यालयों द्वारा रोकड लेखा के भुगतान पक्ष में उक्त प्रेषण लेखा शीर्षान्तर्गत लेखाबद्ध डेबिट राशि इस कार्यालय की लेखा पुस्तिकाओं में समायोजन हेतु लंबित न रहे।

निष्कर्ष रूप में यदि वन कार्यालयों द्वारा प्राप्त आय को लेखा शीर्ष "8782-103-वन प्रेषण, 01 कोषालय में प्रेषण" के अंतर्गत चालान द्वारा कोषालय में जमा राशियों को ही विभागीय वन लेखे में शामिल किया जायेगा। यदि इसके अतिरिक्त चालान द्वारा लेखा शीर्ष 0406 वन राजस्व, 7610- शासकीय सेवकों को ऋण, 8009-सामान्य भविष्य निधि तथा 8550-101-वन अग्रिम, 8443-106 व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत जमा की गई है तो उसे वन लेखा (विभागीय) में शामिल नहीं किया जायेगा, क्योंकि वह कोषालय लेखे के माध्यम से शासकीय लेखे में लेखाबद्ध हो जाती है।

- 1.10 मासिक लेखा के साथ प्रेषित आय तथा व्यय के वर्गीकृत सार (फार्म-14) प्रगामी आय/व्यय पत्रक (फार्म-7अ/7ब) एवं अनुसूचियों/प्रमाणकों पर लेन देनों से संबंधित लेखाशीर्षों का पूर्ण विवरण अंकित न करना।

नियमानुसार विभिन्न लेन-देनों के प्रत्येक अभिलेख पर लेन देन से संबंधित लेखाशीर्ष निम्नानुसार क्रम में अंकित किए जाने चाहिए।

(1) राजस्व/प्राप्ति/आय  
मुख्य शीर्ष,  
उप मुख्य शीर्ष  
लघु शीर्ष  
उप शीर्ष  
विस्तृत शीर्ष ।

(2) व्यय/भुगतान  
मांग संख्या-आयोजनेत्तर/आयोजना, भारित/मतदेय  
मुख्य शीर्ष  
उप मुख्य शीर्ष  
समूह शीर्ष  
लघु शीर्ष  
उप शीर्ष  
विस्तृत शीर्ष  
उप विस्तृत शीर्ष

विभिन्न वन कार्यालयों से प्राप्त मासिक लेखा के संलग्न उक्त अभिलेख की जांच करने पर यह पाया गया है कि, इन पर उपरोक्तानुसार राजस्व/व्यय के लेखा शीर्ष अंकित नहीं किए गए हैं । परिणामतः महालेखाकार कार्यालय में लेन-देन के वर्गीकरण संबंधी त्रुटि हुई है। तथा कम्प्यूटर पर लेखा संकलित करने में कठिनाई आई है।

#### 1.11 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अनुपूरक अनुमानों में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण।

वन विभाग की मांग संख्या 10 वन के प्रथम द्वितीय एवं तृतीय अनुपूरक अनुमानों के परीक्षण करने पर पाया गया कि गतवर्ष की भांति इस वर्ष 2007-08 में भी मूल बजट से उप मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, समूह शीर्ष स्तर पर वर्गीकरण (कोडिंग) भिन्न/त्रुटिपूर्ण थे, जिनकी जांच उपरांत सुधार हेतु शुद्धि पत्रक जारी करवाने हेतु इस कार्यालय द्वारा मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) भोपाल को कई पत्र जारी किये गये। लेकिन वित्त वर्ष के संवरण तक कोई, शुद्धि पत्रक प्राप्त न होने के परिणामस्वरूप अनुदान संख्या 10 वन के ब्यौरेवार लेखे में एक योजना शीर्ष कोडिंग की भिन्नता के कारण दो स्थान पर प्रदर्शित हुआ तथा

एक स्थान पर प्रावधान के विरुद्ध व्यय निरंक रहा और दूसरे स्थान पर प्रावधान के विरुद्ध अधिक व्यय दर्शित हुआ।

परिणामस्वरूप प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अनुपूरक अनुमानों में बजट प्रावधान का

उद्देश्य

सार्थक

सिद्ध

नहीं

हुआ।

1.12 प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि/समूह बीमा योजना/मोटर वाहन अग्रिम/गृह निर्माण अग्रिम

स. क्र.	मूल बजट अनुसार वर्गीकरण (कोडिंग)	प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय अनुपूरक अनुसार वर्गीकरण (कोडिंग)	वर्गीकरण में अंतर शीर्ष स्तर पर	प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय अनुपूरक की राशि (रूपये)	मद क्र.
1	10-2406-01-003-0101-4462-33-003 (पृ. क्र. 10-6)	10-2406-01-003-4462-33-003 (पृ. क्र. 6)	समूह शीर्ष	I-100000	(2)
2	10-2406-01-102-7680-52-001 (पृ. क्र. 10-17)	10-240601-101-7680-52-001 (पृ. क्र. 6)	लघु शीर्ष	I-80000000	(4)
3	10-2406-01-101-2786-11-010-22-003 (पृ. क्र. 10-10)	10-2406-01-001-2786-11-010-22-003 (पृ. क्र. 8)	लघु शीर्ष	II-100000 50000 <b>योग 150000</b>	(2) (3)
4	10-2406-01-101-0101-5109-54 (पृ. क्र. 10-15)	10-2406-01-110-0101-5109-51 (पृ. क्र. 8)	लघु शीर्ष	II-260000000	(8)
5	10-2406-01-101-3836-11-009 (पृ. क्र. 10-11)	10-2406-01-204-3836-11-009 (पृ. क्र. 9)	लघु शीर्ष	II-415000	(13)
6	10-2406-01-800-190-53 (भारित) (पृ. क्र. 10-20)	10-2406-02-800-190-53 (भारित) (पृ. क्र. 10)	उप मुख्य शीर्ष	II-6500000	(18)
7	10-2406-01-102-0701-5317-63-001 (पृ. क्र. 10-18)	10-2406-01-101-0701-5317-63-001 (पृ. क्र. 17)	लघु शीर्ष	III-10000000	(1)
8	10-2406-01-102-0801-6733-12-26 (पृ. क्र. 10-18)	10-2406-02-110-0801-6733-12-26 (पृ. क्र. 17)	उप मुख्य लघु शीर्ष	III-300000 125000 <b>योग 425000</b>	(9) (10)

इत्यादि के कटौतों राशियों का रोकड लेखे में शामिल किया जाना

- (1) वर्ष के दौरान दिनांक 01.07.06 के उपरान्त प्राप्त मासिक लेखाओं का अवलोकन करने पर विभाग से अन्य संस्थाओं यथा लघु वनोपज संघ, वन विकास निगम/अन्य विभाग इत्यादि में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों के लेखा शीर्ष सा.भ.नि./समूह बी.यो./मो.वा.अ./गृ.नि.अ. इत्यादि के कटौतों की राशि कई वन मण्डलों/कार्यालयों द्वारा रोकड लेखे में दर्शायी गई है। जबकि माह 07/06 से उक्त शीर्षान्तर्गत लेन-देन कोषालय लेखे के माध्यम से किया जा रहा है।

अतः प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ/गये कर्मचारियों/अधिकारियों के कटौतों, संबंधित मद के शीर्षान्तर्गत राशि बैंक ड्राफ्ट/चैक से अपने विभाग के माध्यम से कोषालय में अथवा सीधे चालान

से कोषालय में जमा करायी जानी चाहिए न कि मु.शीर्ष 8782-103-01 में राशि चालान में जमा कर रोकड लेखे के प्राप्त पक्ष में संबंधित मद के अंतर्गत वन मासिक लेखे में शामिल किया जाना चाहिए।

(2) **कटौत्रा राशि के चालान प्राप्त होने की स्थिति में :-**

कटौत्रा राशियों के कोषालय में जमाशुदा चालानों जिस पर विभिन्न लेखा शीर्ष यथा 8009 सामान्य भविष्य निधि/7610 मोटर वाहन अग्रिम/गृह निर्माण अग्रिम, 8011-समूह बीमा योजना इत्यादि अंकित हैं, के प्राप्त होने पर उक्त चालानों की राशियों का लेखांकन कार्यालय के मासिक लेखा में (रोकड बही/रोकड लेखा) नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि उक्त कटौत्रा राशियां कोषालय लेखे के माध्यम से शासकीय लेखों में सम्मिलित हो जाती है। प्राप्त चालानों को मात्र अभिलेख में रखा जाना चाहिए।

**1.13 वर्ष 2007-08 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि के अंतर्गत प्राप्ति हेतु अनुमान एवं प्राप्ति का लेखांकन**

म.प्र. शासन, वन विभाग के आदेश क्र./एफ-3/33/98/10-2 दिनांक 29.12.99 के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण से संबंधित प्राप्त राशि को संबंधित वन मण्डलाधिकारी द्वारा संबंधित कोषालय में व्यक्तिगत जमा खाता खोलकर इसमें जमा कराया जाना चाहिए।। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ड-एक" के रूप में संलग्न है।

वर्ष 2006-07 की भांति ही वर्ष 2007-08 की बजट अनुमान पुस्तिका खण्ड-2 पृष्ठ-16 पर "मुख्य शीर्ष 0406 वानिकी और वन्य जीवन (800) अन्य प्राप्तियां -(0237) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए अन्य विभागों से प्राप्तियों" हेतु राशि रूपये 30000000/- (तीन करोड) का बजट अनुमान किया गया तथा विभिन्न कार्यालयों से इस कार्यालय में प्राप्त मासिक लेखों के आधार पर इस कार्यालय की लेखा पुस्तिकाओं में राशि रूपये 24,12,306/- की प्राप्ति दर्ज की गयी।

विभाग के उक्त आदेशानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण विषयक राजस्व प्राप्ति शीर्ष के अंतर्गत किया गया बजट अनुमान एवं विभिन्न वन मण्डलों द्वारा उक्त राजस्व शीर्षान्तर्गत राशियां दर्ज की जाना विभागीय आ देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

वर्ष 2007-08 में वैकल्पिक वृक्षारोपण के अन्तर्गत वन मण्डलवार दर्ज राशियों का विवरण परिशिष्ट "च" पर प्रदर्शित है।

**1.14 मासिक लेखाओं में पायी गयी अन्य त्रुटियां/अनियमितताएं।**

- (1) वन वित्तीय नियमावली 226 एव लेखा संहिता भाग-तीन के अनुसार अनुसूचियां निर्धारित प्रपत्र पर तैयार कर न भेजना ।
- (2) बिना बजट प्रावधान राशियां दर्ज करना ।
- (3) कोषालय में प्रेषण का समाधान पत्रक एवं "समेकित कोषालय रसीद" मासिक लेखे के साथ उपलब्ध न कराना अथवा अत्यंत विलम्ब से उपलब्ध कराना ।
- (4) रोकड़ लेखा के प्राप्ति तथा भुगतान पक्ष की राशि असमान होना ।
- (5) आय/व्यय के वर्गीकृत सार (फार्म-14) का योग रोकड़ लेखा में दर्ज आय/व्यय की राशि से न मिलना ।
- (6) आय/व्यय के प्रगामी अंको के पत्रक (फार्म-7अ/ब) का योग वर्गीकृत सार (फार्म-14) के योग से न मिलना ।
- (7) कई वन संभागों/कार्यालयों से मासिक लेखे के साथ फार्म 7-अ एवं ब प्राप्त न होना ।
- (8) अनुसूचियों में उल्लेखित राशियों के योग में त्रुटि होना ।
- (9) रोकड़ लेखा में लेखा शीर्ष के कोड क्रमांक व नामावली त्रुटिपूर्ण अंकित करना ।
- (10) आयकर विभाग को आयकर विभाग से संबंधित चालान द्वारा भुगतान को रोकड़ लेखा के भुगतान पक्ष में दर्शाना ।
- (11) रोकड़ लेखा के भुगतान पक्ष में "अमान्य राशि का भुगतान" का लेखा शीर्ष न दर्शाना ।

शासन के ध्यान में उक्त त्रुटियां/अनियमितताएं लाते हुए भविष्य में उक्त त्रुटि/अनियमितताओं की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु समुचित कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है ।

————— xxxxxx —————

## भाग—दो (लेखा परीक्षा)

### 2.1 व्यय का स्थानीय लेखा परीक्षण :-

#### 2.1.1 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रथम उत्तर प्राप्त न होना :-

वर्ष 2007-08 में 79 वनमण्डलों के व्यय की लेखा परीक्षा महालेखाकार के लेखा परीक्षा दल द्वारा की गयी। उक्त 79 वनमण्डलों में से 22 वन मण्डलों के प्रथम उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। विवरण परिशिष्ट "छ" पर प्रदर्शित है। जबकि निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रथम उत्तर प्रतिवेदन के जारी होने के 5 सप्ताह में प्राप्त हो जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों में किये गये लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति में भी विशेष प्रगति नहीं हुई है। वर्ष 2007-08 के अंत तक 812 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 2524 कंडिकाएं लंबित है। विवरण परिशिष्ट "ज" पर प्रदर्शित है।

#### 2.1.2 वर्ष 2007-08 के अंत तक वनमण्डलों द्वारा की गयी गंभीर प्रकार की अनियमितताओं के कारण आपत्ति पुस्तकों में लंबित राशि :-

वर्ष 2007-08 में विभिन्न वन कार्यालयों द्वारा किये गये आपत्तिजनक व्यय के कारण 34 प्रकरणों की राशि रु. 26,49,886=00 तथा वर्ष 2006-07 में 54 प्रकरणों की राशि रूपये 87,29,084=00 निराकरण हेतु लंबित थी।

#### 2.1.3 हानि प्रकरणों पर संबंधित वनमण्डलों द्वारा उचित प्रभावी कार्यवाही न किया जाना।

मध्य प्रदेश सामान्य वित्तीय संहिता खण्ड-1 के नियम 22 एवं 24 के अनुसार हानि के प्रकरण ध्यान में आते ही उनके संबंध में की गयी कार्यवाही से महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखा) मध्य प्रदेश, ग्वालियर को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। परंतु वर्ष 1975-76 से 2007-08 के अंत तक राशि रूपये 11,60,63,893/- के 2174 हानि प्रकरण लंबित है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "झ" पर प्रदर्शित है।

### 2.2 राजस्व प्राप्तियों की स्थानीय लेखा परीक्षा।

#### 2.2.1 महालेखाकार के लेखा परीक्षा दल द्वारा वर्ष 2007-08 में 79 वनमण्डलों की राजस्व प्राप्तियों का लेखा परीक्षण किया गया, एवं पाई गई आपत्तियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभाग को अवगत कराया गया। वर्ष के अंत तक सभी 47 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुए। विवरण परिशिष्ट "ज" पर प्रदर्शित है।

इसी वर्ष 2007-08 के अंत तक लेखा परीक्षा से संबंधित 537 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अंतर्गत 1099 कण्डिकाओं की राशि रूपये 87,601.95 लाख का निराकरण लंबित है। जिसका वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ट" में दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा आडिट आपत्तियों को गम्भीरता से नहीं लिया गया है।

### 2.2.2 उचित प्रबंधन एवं लेखा परीक्षण की आपत्तियों पर उचित ध्यान न देने से शासन को हानि।

वर्ष 2007-08 में विभिन्न वनमण्डलों के राजस्व लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि, वनमण्डलों द्वारा उचित प्रबंधन एवं सावधानी न रखने के फलस्वरूप जैसे – वनोपज निपटान हेतु समुचित प्रबंध न किया जाना, वनोपज की कमी पर ध्यान न देना, लकड़ी के अनुमानित उत्पादन एवं वास्तविक उत्पादन के अंतर पर ध्यान न देना एवं विक्रय कर की प्राप्तियों को अनावश्यक रोकना इत्यादि, कारणों से शासन को करोड़ों की हानि हुई है। राजस्व निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से इस हानि को कार्यालय प्रमुख के ध्यान में लाया गया है।

### 2.2.3 लेखा परीक्षण के दौरान गम्भीर अनियमितताओं पर जारी प्रारूप कंडिकाएं।

वर्ष 2007-08 में वन विभाग की लेखा परीक्षण के दौरान गम्भीर अनियमितता पाई गईं जिनके सन्दर्भ में लेखा परीक्षा विभाग द्वारा 3 प्रारूप कंडिकायें जारी की गईं हैं। जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "ठ" में दर्शित है।

अतः शासन से अपेक्षा है कि लेखापरीक्षा के दौरान, लेखा परीक्षा दल द्वारा ध्यान में लायी गयी आपत्तियों एवं हानि प्रकरणों के संबंध में संबंधित विभागों को तुरंत कार्यवाही करने एवं जानकारी प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) मध्य प्रदेश, ग्वालियर कार्यालय को तुरंत भिजवाने हेतु निर्देशित किया जावे।

लेखा अधिकारी

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम  
म.प्र. ग्वालियर

परिशिष्ट 'क'  
(कृपया कण्डिका 1.1 देखें)

तीन या तीन से अधिक माहों का विलम्ब से प्राप्त हुए मासिक लेखों का विवरण पत्रक

क्र.	वन मण्डल / वनवृत का नाम	माह	माहों की संख्या
1	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) सागर	07/2007, 08/2007, 10/2007, 12/2007, 03/2008	5
2	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) सागर	07/2007, 08/2007, 10/2007, 12/2007, 02/2008, 03/2008	6
3	वन मण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) नौरादेही	04/2007, 07/2007, 11/2007, 2/2008, 03/2008	5
4	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) सागर	04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007, 09/2007, 10/2007, 01/2008, 03/2008	8
5	वन संरक्षक सागर	06/2007, 07/2007, 03/2008	3
6	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) सागर	05/2007, 07/2007, 11/2007, 12/2007, 02/2008, 03/2008	6
7	वन संरक्षक भोपाल	01/2007, 05/2007, 7/2007, 1/2008, 03/2008	5
8	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) भोपाल	04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007, 11/2007, 03/2008	6
9	संचालक एवं वन संरक्षक वन विहार (रा.उ.) भोपाल	07/2007, 11/2007, 1/2008, 02/2008, 03/2008	5
10	वन संरक्षक (अनुसंधान विस्तार) भोपाल	04/2007, 06/2007, 07/2007, 9/2007, 12/2007, 02/2008, 03/2008	7
11	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) रायसेन	04/2007, 07/2007, 08/2007, 09/2007, 03/2008	5
12	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) औबेदुल्लागंज	05/2007, 07/2007, 11/2007, 12/2007, 01/2008, 2/2008, 03/2008	7
13	वन मण्डलाधिकारी (उत्पाद) सीहोर	04/2007, 07/2007, 09/2007, 10/2007, 11/2007, 12/2007, 01/2008, 03/2008	8
14	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) सीहोर	04/2007, 06/2007, 07/2007, 09/2007, 10/2007, 11/2007, 12/2007, 01/2008, 03/2008	9
15	वन मण्डलाधिकारी राजगढ व्यावरा	04/2007, 05/2007, 07/2007, 08/2007, 03/2008	5
16	वन संरक्षक रीवा	04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007, 08/2007, 10/2007, 12/2007, 01/2008, 02/2008, 03/2008	10
17	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) रीवा	04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007, 09/2007, 11/2007, 1/2008, 03/2008	8
18	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) रीवा	04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007, 08/2007, 09/2007, 10/2007, 11/2007, 2/2008, 03/2008	10
19	वन मण्डलाधिकारी सतना	04/2007, 07/2007, 08/2007, 03/2008	4

20	वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) सीधी	04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007, 08/2007, 09/2007, 11/2007, 12/2007, 2/2008, 03/2008	10
21	संचालक राष्ट्रीय उद्यान सीधी	04/2007, 07/2007, 08/2007, 03/2008	4
22	वनमण्डलाधिकारी खरगौन	04/2007, 07/2007, 03/2008	3
23	वनमण्डलाधिकारी सैंधवा	04/2007, 06/2007, 07/2007, 03/2008	4
24	वनमण्डलाधिकारी बुरहानपुर	06/2007, 07/2007, 09/2007, 10/2007, 12/2007, 02/2008, 03/2008	7
25	वनमण्डलाधिकारी दक्षिण नर्मदा (उत्पादन) खण्डवा	04/2007, 05/2007, 03/2008	3
26	वन संरक्षक खण्डवा	04/2007, 08/2007, 09/2007, 03/2008	4
27	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) खण्डवा	07/2007, 11/2007, 12/2007, 01/2008, 03/2008	5
28	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) भोपाल	08/2007, 10/2007, 03/2008	3
29	मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) भोपाल	08/2007, 01/2008, 03/2008	3
30	वनमण्डलाधिकारी (राजधानी परियोजना) भोपाल	04/2007, 07/2007, 08/2007, 11/2007, 12/2007, 02/2008, 03/2008	7
31	संयुक्त संचालक म.प्र. वानिकी परियोजना भोपाल	04/2007, 05/2007, 07/2007, 10/2007	4
32	मूल्यांकन अधिकारी (अनु./विस्तार) सामाजिक वानिकी भोपाल	04/2007, 05/2007, 07/2007, 10/2007	4
33	मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) भोपाल	04/2007, 06/2007, 07/2007, 08/2007, 10/2007, 11/2007, 02/2008, 03/2008	8
34	वनमण्डलाधिकारी धार	04/2007, 06/2007, 07/2007, 09/2007, 10/2007, 01/2008, 2/2008, 03/2008	8
35	वन संरक्षक (अनु./विस्तार) इन्दौर	04/2007, 07/2007, 08/2007, 02/2008, 03/2008	5
36	मुख्य वन संरक्षक (कार्य/आयोजना) इन्दौर	04/2007, 05/2007, 07/2007, 12/2007, 02/2008	5
37	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) इन्दौर	04/2007, 06/2007, 07/2007, 03/2008	4
38	वन संरक्षक (कार्य/आयोजना) इन्दौर	04/2007, 06/2007, 07/2007, 08/2007	4
39	वन संरक्षक (अनुसं/विस्तार) झाबुआ	04/2007, 06/2007, 07/2007, 08/2007, 12/2007, 03/2008	7
40	वन संरक्षक (उत्तर) पन्ना	07/2007, 02/2008, 03/2008	3
41	वनमण्डलाधिकारी (दक्षिण) पन्ना	06/2007, 07/2007, 09/2007, 12/2007, 03/2008	5
42	संचालक राष्ट्रीय उद्यान टाईगर पन्ना	04/2007, 06/2007, 07/2007, 09/2007, 01/2008, 02/2008, 03/2008	7
43	वनमण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) छतरपुर	04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007, 08/2007, 10/2007, 12/2007, 01/2008, 02/2008, 03/2008	10
44	वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) छतरपुर	05/2007, 06/2007, 07/2007, 08/2007, 12/2007, 01/2008, 02/2008, 03/2008	8
45	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) छतरपुर	04/2007, 08/2007, 03/2008	3

46	वन संरक्षक छतरपुर	04 / 2007, 06 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 12 / 2007, 02 / 2008, 03 / 2008	7
47	वन मण्डलाधिकारी टीकमगढ़	04 / 2007, 05 / 2007, 06 / 2007, 07 / 2007, 09 / 2007, 03 / 2008	6
48	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) देवास	04 / 2007, 07 / 2007, 12 / 2007, 01 / 2008, 03 / 2008	5
49	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) देवास	04 / 2007, 07 / 2007, 12 / 2007, 01 / 2008, 03 / 2008	5
50	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) उज्जैन	05 / 2007, 06 / 2007, 07 / 2007, 10 / 2007, 12 / 2007, 02 / 2008, 03 / 2008	6
51	वन मण्डलाधिकारी मन्दसौर	04 / 2007, 06 / 2007, 03 / 2008	3
52	वनमण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) शाजापुर	04 / 2007, 05 / 2007, 06 / 2007, 03 / 2008	4
53	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) रतलाम	04 / 2007, 01 / 2008, 03 / 2008	3
54	वन संरक्षक (अनुसंधान / विस्तार) रतलाम	04 / 2007, 07 / 2007, 01 / 2008, 02 / 2008, 03 / 2008	5
55	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) उज्जैन	08 / 2007, 02 / 2008, 03 / 2008	3
56	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) शहडोल	04 / 2007, 05 / 2007, 06 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 02 / 2008, 03 / 2008	7
57	संचालक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया	04 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 11 / 2007, 12 / 2007	5
58	वन संरक्षक शहडोल	06 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 09 / 2007, 10 / 2007, 12 / 2007, 02 / 2008, 03 / 2008	8
59	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) शहडोल	04 / 2007, 06 / 2007, 07 / 2007, 09 / 2007, 10 / 2007, 03 / 2008	6
60	उप वन संरक्षक वन विद्यालय अमरकंटक	07 / 2007, 08 / 2007, 10 / 2007, 11 / 2007, 01 / 2008 02 / 2008, 03 / 2008	7
61	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) शहडोल	06 / 2007, 09 / 2007, 03 / 2008	3
62	वन मण्डलाधिकारी अनुपपुर	04 / 2007, 06 / 2007, 07 / 2007, 03 / 2008	4
63	वन संरक्षक होशंगाबाद	06 / 2007, 07 / 2007, 10 / 2007, 03 / 2008	4
64	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) होशंगाबाद	04 / 2007, 06 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 10 / 2007, 11 / 2007, 12 / 2007, 01 / 2008, 2 / 2008, 03 / 2008	10
65	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) होशंगाबाद	04 / 2007, 05 / 2007, 06 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 10 / 2007, 11 / 2007, 01 / 2008 2 / 2008, 03 / 2008	10
66	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) होशंगाबाद	04 / 2007, 05 / 2007, 06 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 11 / 2007, 02 / 2008, 03 / 2008	8
67	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) हरदा	04 / 2007, 07 / 2007, 02 / 2008, 03 / 2008	4
68	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) हरदा	04 / 2007, 07 / 2007, 02 / 2008, 03 / 2008	4
69	उप संचालक सतपुडा टाइगर रिजर्व पंचमढी	04 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 09 / 2007, 10 / 2007, 11 / 2007, 12 / 2007, 01 / 2008 02 / 2008, 03 / 2008	10
70	वन संरक्षक सिवनी	04 / 2007, 05 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 01 / 2008, 03 / 2008 9 / 07	7

71	वन मण्डलाधिकारी उत्तर (सामान्य) सिवनी	04 / 2007, 05 / 2007, 07 / 2007, 10 / 2007, 11 / 2007, 12 / 2007, 01 / 2008 02 / 2008, 03 / 2008	9
72	वन मण्डलाधिकारी दक्षिण (सामान्य) सिवनी	04 / 2007, 05 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 09 / 2007, 10 / 2007, 11 / 2007, 12 / 2007 01 / 2008, 03 / 2008	10
73	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) उत्पादन सिवनी	04 / 2007, 05 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 11 / 2007, 03 / 2008	6
74	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) उत्पादन सिवनी	04 / 2007, 05 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 12 / 2007, 03 / 2008	6
75	वन संरक्षक (अनुसंधान / विस्तार) सिवनी	04 / 2007, 07 / 2007, 12 / 2007, 03 / 2008	4
76	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) सिवनी	04 / 2007, 10 / 2007, 11 / 2007	3
77	उप संचालक पंच टाङ्गर रिजर्व सिवनी	05 / 2007, 07 / 2007, 09 / 2007, 12 / 2007, 01 / 2008 02 / 2008, 3 / 2008	7
78	उप संचालक इको विकास सिवनी	07 / 2007, 09 / 2007, 12 / 2007 01 / 2008, 02 / 2008, 03 / 2008	6
79	वन मण्डलाधिकारी नरसिंहपुर	04 / 2007, 11 / 2007, 01 / 2008, 03 / 2008	4
80	संचालक, राजीव गांधी सहभागी प्रशिक्षण संस्थान लखनादौना	04 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 09 / 2007, 10 / 2007, 01 / 2008, 02 / 2008, 03 / 2008	8
81	वन संरक्षक छिन्दवाडा	04 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 11 / 2007, 01 / 2008, 03 / 2008	6
82	वन मण्डलाधिकारी पूर्व (सामान्य) छिन्दवाडा	04 / 2007, 05 / 2007, 07 / 2007, 09 / 2007, 10 / 2007, 11 / 2007, 12 / 2007 01 / 2008, 02 / 2008, 03 / 2008	10
83	वन मण्डलाधिकारी पश्चिम (सामान्य) छिन्दवाडा	04 / 2007, 08 / 2007, 09 / 2007, 10 / 2007, 01 / 2008, 02 / 2008, 03 / 2008	7
84	वन मण्डलाधिकारी दक्षिण (सामान्य) छिन्दवाडा	04 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 09 / 2007, 11 / 2007, 01 / 2008, 02 / 2008, 03 / 2008	9
85	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) छिन्दवाडा	04 / 2007, 09 / 2007, 10 / 2007, 01 / 2008, 03 / 2008 2 / 2008	6
86	वन मण्डलाधिकारी पश्चिम (उत्पादन) छिन्दवाडा	04 / 2007, 05 / 2007, 07 / 2007, 11 / 2007, 01 / 2008, 02 / 2008, 03 / 2008	7
87	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) छिन्दवाडा	05 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 03 / 2008	4
88	वन संरक्षक (सामान्य) ग्वालियर	10 / 2007, 02 / 2008, 03 / 2008	3
89	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) ग्वालियर	07 / 2007, 08 / 2007, 12 / 2007 01 / 2008, 02 / 2008, 03 / 2008	6
90	सहायक वन संरक्षक (अनुसंधान / विस्तार) ग्वालियर	07 / 2007, 08 / 2007, 10 / 2007, 11 / 2007, 12 / 2007 01 / 2008, 03 / 2008	7
91	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) ग्वालियर	07 / 2007, 08 / 2007, 10 / 2007, 01 / 2008, 02 / 2008, 03 / 2008	6
92	वन मण्डलाधिकारी भिण्ड	05 / 2007, 06 / 2007, 07 / 2007, 12 / 2007 01 / 2008, 02 / 2008 03 / 2008	7

93	वनमण्डलाधिकारी श्योपुर कलां	04 / 2007, 07 / 2007, 09 / 2007, 12 / 2007 01 / 2008, 02 / 2008, 03 / 2008	7
94	वनमण्डल अधिकारी कुनो वन्य प्राणी श्योपुर	07 / 2007, 02 / 2008, 03 / 2008	3
95	वन संरक्षक जबलपुर	08 / 2007, 11 / 2007, 03 / 2008	3
96	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) जबलपुर	04 / 2007, 06 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 09 / 2007, 11 / 2007, 02 / 2008, 03 / 2008	8
97	वन संरक्षक ( अनुसंधान / विस्तार) जबलपुर	05 / 2007, 06 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 09 / 2007, 10 / 2007, 11 / 2007, 12 / 2007 01 / 2008, 02 / 2008, 03 / 2008	11
98	वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) कटनी	04 / 2007, 05 / 2007, 06 / 2007, 08 / 2007, 09 / 2007, 10 / 2007, 11 / 2007, 12 / 2007 02 / 2008, 03 / 2008	10
99	मुख्य वन संरक्षक ( कार्य आयोजना) जबलपुर	04 / 2007, 05 / 2007, 06 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 10 / 2007, 11 / 2007,	7
100	वन मण्डलाधिकारी पश्चिम (सामान्य) मण्डला	07 / 2007, 10 / 2007, 02 / 2008, 03 / 2008	4
101	वन मण्डलाधिकारी पूर्व (सामान्य) मण्डला	07 / 2007, 12 / 2007, 03 / 2008	3
102	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) डिण्डौरा	05 / 2007, 06 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 09 / 2007, 10 / 2007, 11 / 2007, 12 / 2007 01 / 2008, 02 / 2008, 03 / 2008	11
103	उप संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला	06 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 09 / 2007, 10 / 2007, 12 / 2007 01 / 2008, 03 / 2008	8
104	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) मण्डला	04 / 2007, 06 / 2007, 10 / 2007, 11 / 2007, 03 / 2008	5
105	बफर जोन कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला	08 / 2007, 10 / 2007, 12 / 2007, 03 / 2008	4
106	वन संरक्षक शिवपुरी	04 / 2007, 12 / 2007, 03 / 2008	3
107	वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) गुना	04 / 2007, 07 / 2007, 03 / 2008	3
108	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) गुना	04 / 2007, 06 / 2007, 07 / 2007, 09 / 2007, 12 / 2007	5
109	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) शिवपुरी	04 / 2007, 05 / 2007, 06 / 2007, 10 / 2007	4
110	संचालक माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	04 / 2007, 07 / 2007, 02 / 2008, 03 / 2008 10 / 07	5
111	वन संरक्षक, बालाघाट	04 / 2007, 05 / 2007, 06 / 2007, 07 / 2007, 10 / 2007, 02 / 2008, 03 / 2008	7
112	वन मण्डलाधिकारी उत्तर (सामान्य) बालाघाट	04 / 2007, 05 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 09 / 2007, 10 / 2007, 11 / 2007, 12 / 2007 02 / 2008, 03 / 2008	11
113	वन मण्डलाधिकारी दक्षिण (सामान्य) बालाघाट	04 / 2007, 05 / 2007, 06 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 10 / 2007, 11 / 2007, 12 / 2007 02 / 2008, 03 / 2008	10
114	वन मण्डलाधिकारी उत्तर (उत्पादन) बालाघाट	04 / 2007, 07 / 2007, 08 / 2007, 12 / 2007 01 / 2008, 02 / 2008, 03 / 2008	7
115	वन मण्डलाधिकारी दक्षिण (उत्पादन) बालाघाट	04 / 2007, 08 / 2007, 11 / 2007, 12 / 2007 02 / 2008, 03 / 2008	6
116	वन मण्डलाधिकारी पश्चिम (उत्पादन) बालाघाट	04 / 2007, 08 / 2007, 11 / 2007, 12 / 2007 02 / 2008, 03 / 2008	6

117	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) बालाघाट मुख्यालय जबलपुर	04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007, 08/2007, 12/2007, 01/2008, 03/2008 2/08	9
118	प्राचार्य वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट	07/2007, 12/2007 01/2008, 02/2008, 03/2008	5
119	वन संरक्षक बैतूल	05/2007, 06/2007, 07/2007, 11/2007, 12/2007 02/2008	6
120	वन मण्डलाधिकारी उत्तर (सामान्य) बैतूल	04/2007, 07/2007, 10/2007, 01/2008, 03/2008	5
121	वनमण्डलाधिकारी (दक्षिण सामान्य) बैतूल	06/2007, 08/2007, 01/2008, 03/2008	4
122	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) बैतूल	04/2007, 05/2007, 03/2008	3
123	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) बैतूल	06/2007, 12/2007 03/2008	3
124	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) बैतूल	04/2007, 10/2007, 03/2008	3
125	संचालक वन विद्यालय बैतूल	04/2007, 07/2007, 01/2008, 03/2008	4

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम म.प्र. ग्वालियर

परिशिष्ट 'ख'

(कृपया कण्डिका 1.3.1 देखें)

तीन या तीन से अधिक माहों का एक साथ अंक मिलान करने वाले वन कार्यालयों का विवरण पत्रक

क्रमांक	वन मण्डल / वनवृत्त का नाम	माह	माहों की संख्या	अंक मिलान कार्य करने की तिथि
1.	वन मण्डलाधिकारी दमोह	04/07 to 06/07	3	30.08.2007
		07/07 to 02/08	8	31.03.2008
2	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) सागर	04/07 to 07/07	4	31.10.2007
		08/07 to 12/07	5	03.03.2008
		01/08 to 03/08	3	18.06.2008
3	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) सागर	04/07 to 02/08	11	05.05.08
4	वन मण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) नौरादेही	04/07 to 06/07	3	05.09.2007
		07/07 to 12/07	6	25.02.2008
		01/08 to 03/08	3	18.06.2008
5	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) सागर	01/08 to 03/08	3	29.05.08
6	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) सागर	04/07 to 12/07	9	25.02.08
		01/08 to 03/08	3	30.05.08
7	वन संरक्षक सागर	04/07 to 06/07	3	10.09.07
		07/07 to 12/07	6	25.02.08
		01/08 to 03/08	3	18.06.08
8	वन संरक्षक भोपाल	04/07 to 06/07	3	10.09.07
		07/07 to 12/07	6	14.03.08
		01/08 to 03/08	3	29.05.08
9	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) भोपाल	04/07 to 03/08	12	12.05.08
10	संचालक वन विहार भोपाल	04/07 to 06/07	3	13.09.07
		07/07 to 12/07	6	28.05.08
		01/08 to 03/08	3	16.08.08
11	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) रायसेन	04/07 to 06/07	3	17.09.07
		07/07 to 03/08	9	12.05.08
12	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) रायसेन	04/07 to 06/07	3	12.09.07
		04/07 to 03/08	9	26.05.08
13	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) औबेदुल्लागंज	04/07 to 12/07	9	27.02.08
		01/08 to 03/08	3	29.03.08
14	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) सीहोर	04/07 to 06/07	3	30.08.07
		07/07 to 12/07	6	12.03.08
		01/08 to 03/08	3	29.05.08
15	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) सीहोर	04/07 to 06/07	3	11.09.07
		07/07 to 12/07	6	12.03.08
		01/08 to 03/08	3	29.05.08
16	वन मण्डलाधिकारी राजगढ़ ब्यावरा	04/07 to 12/07	9	17.03.08
		01/08 to 03/08	3	17.06.08
17	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) भोपाल	04/07 to 10/07	7	21.04.08
		11/07 to 03/08	5	29.05.08
18	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) विदिशा	04/07 to 06/07	3	11.09.07
		07/07 to 10/07	4	19.12.07
		11/07 to 02/08	4	31.03.08
19	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) भोपाल	04/07 to 07/07	4	01.10.07
		08/07 to 10/07	3	10.01.08
		11/07 to 03/08	5	26.05.08
20	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) रीवा	04/07 to 03/08	12	30.05.07
21	वन संरक्षक रीवा	04/07 to 07/07	4	18.10.07
		08/07 to 12/07		20.02.08
22	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) रीवा	04/07 to 03/08	5	30.05.08

23	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) रीवा	04/07 to 03/08	12	29.05.08
24	संचालक (संजय राष्ट्रीय उद्यान) सीधी	04/07 to 07/07	4	20.10.07
		08/07 to 03/08	8	29.05.08
25	वन मण्डलाधिकारी (पश्चिम) सीधी	04/07 to 07/07	4	16.10.07
		08/07 to 03/08	8	29.05.08
26	वन मण्डलाधिकारी (पूर्व) सीधी	04/07 to 03/08	12	30.05.08
27	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) सतना	04/07 to 07/07	4	31.10.07
		08/07 to 11/07	4	12.12.07
		12/07 to 03/08	4	23.05.08
28	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) देवास	04/07 to 10/07	7	10.01.08
		11/07 to 02/08	4	25.04.08
29	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) देवास	04/07 to 12/07	9	13.03.08
		01/08 to 03/08	3	29.05.08
30	वन संरक्षक उज्जैन	05/07 to 12/07	8	04.03.08
		01/07 to 03/08	3	29.05.08
31	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) उज्जैन	05/07 to 09/07	5	15.11.07
		10/07 to 12/07	3	04.03.08
		01/08 to 03/08	3	12.05.08
32	वन मण्डलाधिकारी मंदसौर	04/07 to 11/07	8	12.02.08
		12/07 to 03/08	4	23.06.08
33	वन मण्डलाधिकारी नीमच	04/07 to 10/07	7	27.12.07
		11/07 to 02/08	4	29.05.08
34	वन मण्डलाधिकारी रतलाम	05/07 to 07/07	3	08.10.07
		08/07 to 03/08	8	26.05.08
35	वन मण्डलाधिकारी शाजापुर	04/07 to 02/08	11	15.04.08
36	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) रतलाम	04/07 to 03/08	12	24.06.08
37	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) उज्जैन	05/07 to 10/07	6	27.12.07
		11/07 to 02/08	4	17.04.08
38	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) पन्ना	04/07 to 11/07	8	12.02.08
		12/07 to 03/08	4	06.06.08
39	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) पन्ना	04/07 to 09/07	6	28.11.07
		10/07 to 03/08	6	06.06.08
40	वन मण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) छतरपुर	04/07 to 07/07	4	05.10.07
41	संचालक राष्ट्रीय उद्यान पन्ना	04/07 to 12/07	9	03.03.08
		01/08 to 03/08	3	05.06.08
42	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) छतरपुर	04/07 to 02/08	11	08.04.08
43	वन मण्डलाधिकारी टीकमगढ़	04/07 to 06/07	3	10.09.07
		07/07 to 10/07	4	11.01.08
		11/07 to 03/08	5	16.06.08
44	वन संरक्षक छतरपुर	04/07 to 12/07	9	13.03.08
		01/08 to 03/08	3	17.06.08
45	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) छतरपुर	06/07 to 09/07	4	17.12.07
		10/07 to 03/08	6	21.05.08
46	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) शहडोल	05/07 to 12/07	8	27.02.08
		01/08 to 03/08	3	23.06.08
47	उप वन संरक्षक संचालक वन विद्यालय अमरकंटक	04/07 to 07/07	4	01.10.07
48	वन मण्डलाधिकारी अनूपपुर	04/07 to 07/07	4	30.10.07
		08/07 to 03/08	8	26.05.08
49	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) शहडोल	04/07 to 07/07	4	25.09.07
		08/07 to 03/08	8	26.05.08
50	वन मण्डलाधिकारी (दक्षिण) शहडोल	06/07 to 10/07	5	27.07.07
		11/07 to 03/08	5	26.05.07
51	संचालक राष्ट्रीय उद्यान उमरिया	04/07 to 06/07	3	14.09.07
		07/07 to 11/07	5	12.02.08
52	वन संरक्षक शहडोल	04/07 to 06/07	3	25.09.07
		07/07 to 10/07	4	27.12.07

53	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) उमरिया	05/07 to 12/07	8	11.03.08
		01/08 to 03/08	3	29.05.08
54	वन मण्डलाधिकारी खरगौन	04/07 to 07/07	4	31.10.07
55	वन मण्डलाधिकारी बडवाह	04/07 to 03/08	12	26.05.08
56	वन मण्डलाधिकारी बडवानी	04/07 to 10/07	7	26.12.07
		11/07 to 03/08	5	26.05.08
57	वन मण्डलाधिकारी सैधवा	04/07 to 03/08	12	27.05.08
58	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) खण्डवा	04/07 to 07/07	4	30.10.07
		08/07 to 03/08	8	22.05.08
59	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) बुरहानपुर	04/07 to 07/07	4	31.10.07
		08/07 to 03/08	8	30.05.08
60	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) खण्डवा	04/07 to 09/07	6	21.11.07
		10/07 to 03/08	6	26.05.08
61	वन मण्डलाधिकारी उत्तर नर्मदा उत्पादन	04/07 to 07/07	4	25.10.07
	खण्डवा	08/07 to 03/08	8	25.05.08
62	वन संरक्षक खण्डवा	04/07 to 10/07	7	19.12.07
63	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) खण्डवा	04/07 to 07/07	4	31.10.07
		08/07 to 03/08	8	28.05.08
64	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) खण्डवा	04/07 to 07/07	4	30.10.07
		08/07 to 02/08	7	04.04.08
65	प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल	04/07 to 06/07	3	11.09.07
		07/07 to 09/07	3	15.11.07
		10/07 to 03/08	6	27.05.08
66	मुख्य वन संरक्षक (विकास) भोपाल	04/07 to 06/07	3	11.09.07
		07/07 to 09/07	3	13.11.07
		10/07 to 12/07	3	11.03.07
		01/08 to 03/08	3	27.05.08
67	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)	04/07 to 12/07	8	12.03.08
	भोपाल	01/08 to 03/08	3	29.05.08
68	मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) भोपाल	04/07 to 03/08	12	27.05.08
69	वन मण्डलाधिकारी (राजधानी परियोजना)	04/07 to 11/07	9	18.02.08
	भोपाल			
70	संयुक्त संचालक म.प्र. वानिकी परियोजना	04/07 to 06/07	3	12.09.07
	भोपाल	07/07 to 03/08	9	21.05.08
71	मूल्यांकन अधिकारी (अनुसंधान/विस्तार)	05/07 to 03/08	11	15.05.08
	सामाजिक वानिकी भोपाल			
72	मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) भोपाल	04/07 to 03/08	12	29.05.08
73	वन मण्डलाधिकारी धार	04/07 to 06/07	3	20.09.07
		07/07 to 12/07	6	11.03.08
		01/08 to 03/08	3	27.05.08
74	वन संरक्षक इन्दौर	04/07 to 06/07	3	06.09.07
		08/07 to 12/07	5	19.02.08
		01/08 to 03/08	3	22.05.08
75	मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) इन्दौर	04/07 to 06/07	3	05.11.07
		07/07 to 12/07	6	27.02.08
		01/08 to 03/08	3	04.06.08
76	वन संरक्षक (वन्य प्राणी) इन्दौर	04/07 to 06/07	3	06.09.07
		07/07 to 03/08	9	04.06.08
77	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) इन्दौर	04/07 to 12/07	9	14.03.08
		01/08 to 03/08	3	15.05.08
78	वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) झाबुआ	04/07 to 06/07	3	24.09.07
79	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) इन्दौर	04/07 to 06/07	3	11.09.07
		07/07 to 03/08	9	30.05.08
80	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) इन्दौर	04/07 to 12/07	9	30.02.08
		01/08 to 03/08	3	14.05.08
81	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) झाबुआ	04/07 to 07/07	4	22.02.08
		08/07 to 03/08	8	14.05.08

82	वन संरक्षक होशंगाबाद	04/07 to 06/07	3	17.08.07
		07/07 to 10/07	4	07.01.08
		11/07 to 03/08	5	28.05.08
83	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) होशंगाबाद	04/07 to 06/07	3	17.08.07
		07/07 to 03/08	9	28.05.08
84	वन मण्डलाधिकारी हरदा	04/07 to 06/07	3	20.08.07
		07/07 to 03/08	9	29.05.08
85	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) हरदा	04/07 to 07/07	4	01.10.07
		08/07 to 02/08	7	29.04.08
86	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) होशंगाबाद	04/07 to 06/07	3	27.08.07
		07/07 to 10/07	4	16.01.08
		11/07 to 03/08	5	26.05.08
87	उप संचालक, सतपुडा टाडगर रिजर्व पंचमढी	04/07 to 12/07	9	29.02.08
		01/08 to 03/08	3	29.05.08
88	वन संरक्षक सिवनी	04/07 to 03/08	12	27.06.08
89	वन मण्डलाधिकारी उत्तर (सामान्य) सिवनी	04/07 to 06/07	3	10.09.07
90	वन मण्डलाधिकारी दक्षिण (सामान्य) सिवनी	04/07 to 06/07	3	31.08.07
91	वनमण्डलाधिकारी उत्तर (उत्पादन) सिवनी	04/07 to 06/07	3	31.08.08
		07/07 to 12/07	6	18.02.08
		01/08 to 03/08	3	26.05.08
92	वन मण्डलाधिकारी (अनुसंधान/विस्तार) सिवनी	06/07 to 12/07	7	13.03.07
		01/08 to 03/08	3	26.05.08
93	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) सिवनी	04/07 to 06/07	3	10.09.07
		07/07 to 03/08	9	26.05.08
94	वनमण्डलाधिकारी दक्षिण (उत्पादन) सिवनी	04/07 to 06/07	3	31.08.07
		07/07 to 12/07	6	18.02.08
		01/08 to 03/08	3	26.05.08
95	वनमण्डलाधिकारी नरसिंहपुर	04/07 to 07/07	4	23.10.07
		08/07 to 03/08	8	30.05.08
96	उप वन संरक्षक इको डवलपमेन्ट सिवनी	04/07 to 09/07	6	23.11.07
		10/07 to 02/08	5	07.05.08
97	क्षेत्र उप संचालक पेंच टाडगर रिजर्व सिवनी	04/07 to 09/07	6	23.11.07
		10/07 to 02/08	5	07.05.08
98	संचालक, राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान लखनादौन सिवनी	04/07 to 12/07	9	13.02.08
		01/08 to 03/08	3	02.06.08
99	वन संरक्षक छिन्दवाडा	04/07 to 10/07	7	24.09.07
		01/08 to 03/08	3	30.05.08
100	वनमण्डलाधिकारी पूर्व (सामान्य) छिन्दवाडा	04/07 to 02/08	11	28.04.08
101	वनमण्डलाधिकारी पश्चिम (सामान्य) छिन्दवाडा	04/07 to 09/07	6	06.12.07
102	वनमण्डलाधिकारी दक्षिण (सामान्य) छिन्दवाडा	04/07 to 06/07	3	13.08.07
103	वनमण्डलाधिकारी पश्चिम (उत्पादन) छिन्दवाडा	04/07 to 08/07	5	31.10.07
		09/07 to 12/07	4	25.02.08
104	वनमण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) छिन्दवाडा	04/07 to 09/07	6	06.12.07
105	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) छिन्दवाडा	04/07 to 07/07	4	26.10.07
		08/07 to 10/07	3	24.12.07
		01/08 to 03/08	3	30.05.08
106	वन संरक्षक शिवपुरी	04/07 to 02/08	11	09.05.08
107	वनमण्डलाधिकारी शिवपुरी	07/07 to 09/07	3	03.12.07
		10/07 to 03/08	6	27.06.08
108	वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) गुना	04/07 to 07/07	4	13.10.07
		08/07 to 12/07	5	11.02.08
		08/07 to 03/08	3	30.05.08
109	वनमण्डलाधिकारी पूर्व (सामाजिक वानिकी) गुना	04/07 to 07/07	4	18.10.07
		08/07 to 12/07	5	13.02.08
		01/08 to 03/08	3	30.05.08

110	संचालक वन विद्यालय शिवपुरी	04/07 to 06/07	3	27.08.07
		08/07 to 10/07	3	24.12.07
		01/08 to 03/08	3	19.06.08
111	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) शिवपुरी	06/07 to 09/07	4	20.12.07
112	संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	04/07 to 06/07	3	12.09.07
		01/08 to 03/08	3	13.05.08
113	वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) अशोक नगर	04/07 to 10/07	6	12.11.07
		11/07 to 02/08	5	12.05.08
114	वनमण्डलाधिकारी पूर्व (सामान्य) मण्डला	04/07 to 09/07	7	27.12.07
		10/07 to 02/08	4	29.05.08
115	वन संरक्षक जबलपुर	04/07 to 03/08	12	30.05.08
116	वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) जबलपुर	04/07 to 02/08	11	09.05.08
117	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) जबलपुर	04/07 to 12/07	9	05.03.08
		01/08 to 03/08	3	20.06.08
118	वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) कटनी	04/07 to 03/08	12	28.06.08
119	वन संरक्षक (सामान्य) डिंडौरी	04/07 to 06/07	3	13.08.07
		07/07 to 12/07	6	26.02.08
120	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) जबलपुर	04/07 to 03/08	12	29.05.08
121	मुख्य वनसंरक्षक (कार्य आयोजना) जबलपुर	04/07 to 03/08	12	29.05.08
122	वनमण्डलाधिकारी (पश्चिम सामान्य)मण्डला	07/07 to 03/08	9	22.05.08
123	उप संचालक कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला	04/07 to 07/07	4	25.10.07
		11/07 to 03/08	5	29.02.08
124	वनमण्डलाधिकारी (उत्पादन) मण्डला	04/07 to 10/07	7	11.01.08
		11/07 to 03/08	5	02.06.08
125	वनमण्डलाधिकारी (उत्पादन) डिंडौरी	04/07 to 07/07	4	24.09.07
		08/07 to 03/08	8	12.06.08
126	उप संचालक बफर जोन कान्हा रिजर्व मण्डला	04/07 to 09/07	6	15.11.07
		10/07 to 12/07	3	12.03.08
		01/08 to 03/08	3	27.05.08
127	वन संरक्षक ग्वालियर	04/07 to 09/07	7	11.12.07
		10/07 to 02/08	5	29.04.08
128	वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) ग्वालियर	04/07 to 10/07	7	31.12.07
		11/07 to 03/08	5	30.05.08
129	सहायक वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) ग्वालियर	04/07 to 08/07	5	01.11.07
		11/07 to 03/08	5	29.05.08
130	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) ग्वालियर	04/07 to 06/07	3	24.08.07
		07/07 to 11/07	5	22.01.08
		12/07 to 03/08	4	30.05.08
131	वन मण्डलाधिकारी भिण्ड	04/07 to 06/07	3	17.08.07
		07/07 to 03/08	9	05.06.08
132	वन संरक्षक (वन्य प्राणी) सिंह परियोजना ग्वालियर	05/07 to 07/07	3	25.09.07
		08/07 to 02/08	7	29.04.08
133	वन मण्डलाधिकारी श्योपुर कलां	05/07 to 12/07	8	18.02.08
		01/08 to 03/08	3	02.06.08
134	वन मण्डलाधिकारी मुरैना	05/07 to 08/07	4	25.09.07
		09/07 to 12/07	3	28.01.08
		12/07 to 03/08	4	13.05.08
135	वनमण्डलाधिकारी कूनों वन्य प्राणी श्योपुर	04/07 to 03/08	12	27.05.08
136	वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) दतिया	04/07 to 09/07	6	29.11.07
		10/07 to 02/08	5	05.05.08
137	वन संरक्षक बैतूल	04/07 to 12/07	8	13.02.08
		01/08 to 03/08	3	24.06.08
138	वनमण्डलाधिकारी (उत्तर) सामान्य बैतूल	04/07 to 10/07	7	27.12.07
		01/08 to 03/08	3	26.06.08
139	वनमण्डलाधिकारी (दक्षिण) सामान्य बैतूल	04/07 to 06/07	3	10.08.07
		07/07 to 09/07	3	12.11.07
		10/07 to 12/07	3	12.03.08
		01/08 to 03/08	3	23.06.08

140	वनमण्डलाधिकारी (पश्चिम) सामान्य बैतूल	04/07 to 07/07	4	10.08.07
		10/07 to 12/07	3	12.02.08
141	वनमण्डलाधिकारी (उत्पादन) बैतूल	04/07 to 06/07	3	11.09.07
		09/07 to 03/08	7	02.06.08
142	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) बैतूल	04/07 to 02/08	11	15.04.08
143	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) बैतूल	04/07 to 12/07	9	04.03.08
		01/08 to 03/08	3	27.05.08
144	संचालक वन विद्यालय बैतूल	04/07 to 10/07	7	28.12.07
		11/07 to 03/08	5	02.06.08
145	वन संरक्षक बालाघाट	04/07 to 06/07	3	06.09.07
		01/08 to 03/08	3	17.06.08
146	वनमण्डलाधिकारी(दक्षिण) सामान्य बालाघाट	04/07 to 07/07	4	07.12.07
		08/07 to 12/07	5	25.02.08
147	वनमण्डलाधिकारी(उत्तर) सामान्य बालाघाट	04/07 to 10/07	7	18.01.08
148	वनमण्डलाधिकारी (दक्षिण) उत्पादन बालाघाट	04/07 to 06/07	3	12.09.07
		07/07 to 10/07	4	18.01.08
149	वनमण्डलाधिकारी (उत्तर) उत्पादन बालाघाट	04/07 to 06/07	3	10.12.07
150	वनमण्डलाधिकारी (पश्चिम) उत्पादन बालाघाट	04/07 to 06/07	3	28.07.07
		09/07 to 03/08	8	17.06.08
151	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) बालाघाट मुख्यालय जबलपुर	04/07 to 03/08	12	28.05.07
152	प्राचार्य वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट	04/07 to 06/07	3	06.09.07
		09/0/ to 03/08	7	30.05.08

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम  
म.प्र. ग्वालियर

परिशिष्ट “ग”

(कृपया कण्डिका 1.3.2 देखें)

वर्ष 2007.08 में विभागीय आंकड़ों का पुर्नर्मिलान महालेखाकार कार्यालय के आंकड़ों से न करने वाले कार्यालयों का विवरण पत्रक :-

क्र. स.	कार्यालय का नाम	पुनर्मिलान हेतु लम्बित माहों की कुल संख्या
1.	संचालक, वन विभाग विद्यालय अमरकंटक	08/07 से 03/08 8 माह
2.	वन संरक्षक, शहडोल	11/07 से 03/08 5 माह
3.	संचालक, बांधवगढ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया	12/07 से 03/08 4 माह
4.	वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण नर्मदा उत्पादन खण्डवा	04/07 से 03/08 12 माह
5.	वन संरक्षक, खण्डवा	11/07 से 03/08 5 माह
6.	वन मण्डलाधिकारी खरगौन	08/07 से 03/08 8 माह
7.	वन मण्डलाधिकारी क्षेत्रीय झाबुआ	07/07 से 03/08 9 माह
8.	वन मण्डलाधिकारी राजधानी परियोजना भोपाल	12/07 से 03/08 4 माह
9.	वन संरक्षक शिवपुरी	03/08 1 माह
10.	वनमंडल अधिकारी (सामान्य) जबलपुर	03/08 1 माह
11.	वन मण्डलाधिकारी डिण्डौरी	01/08 से 03/08 3 माह
12.	वन मण्डलाधिकारी पश्चिम, (उत्पादन) छिन्दवाडा	01/08 से 03/08 3 माह
13.	वन मण्डलाधिकारी दक्षिण, (सामान्य) छिन्दवाडा	07/07 से 03/08 9 माह
14.	वन मण्डलाधिकारी दक्षिण, (उत्पादन) बालाघाट	01/08 से 03/08 3 माह
15.	वन मण्डलाधिकारी दक्षिण, (सामान्य) बालाघाट	01/08 से 03/08 3 माह
16.	वन मण्डलाधिकारी उत्तर, (उत्पादन) बालाघाट	10/07 से 03/08 6 माह
17.	वन मण्डलाधिकारी उत्तर, (सामान्य) बालाघाट	11/07 से 03/08 5 माह
18.	वन मण्डलाधिकारी उत्तर, (सामान्य) सिवनी	07/07 से 03/08 9 माह
19.	वन मण्डलाधिकारी दक्षिण, (सामान्य) सिवनी	07/07 से 03/08 9 माह
20.	वन मण्डलाधिकारी पश्चिम, सामाजिक वानिकी छतरपुर	08/07 से 03/08 8 माह
21.	वन मण्डलाधिकारी सामाजिक वानिकी रायसेन	04/07 से 03/08 12 माह
22.	वन मण्डलाधिकारी सामाजिक वानिकी होशंगाबाद	04/07 से 03/08 12 माह

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम म.प्र. ग्वालियर

परिशिष्ट 'घ'

(कृपया कण्डिका 1.7 देखें)

विभागीय भविष्य निधि पर देय ब्याज का शासकीय लेखे में समायोजन कराने हेतु विवरण भेजने वाले कार्यालयों की सूची।

स.क्र.	वन कार्यालय का नाम	राशि रूपये
1.	वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल होशंगाबाद	11,99,717
2.	वन संरक्षक होशंगाबाद	83,126
3.	मुख्य वन संरक्षक सतपुडा भवन भोपाल	2,45,849
4.	वन मण्डल अधिकारी डिण्डोरी	23,68,364
	<b>योग</b>	<b>3897056</b>

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारों)-प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

परिशिष्ट ~~च~~ एक

(कृपया कंडिक्ट 1-12 देखें)

कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक (नू-सर्वेक्षण) मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक/एफ-10/35/03/5289

भोपाल, दिनांक 18.12.2003

प्राप्ति,

समस्त वनसंरक्षक (क्षेत्रीय)

मध्य प्रदेश ।

विषय:-लोक लेखा प्राप्तियां मद आरक्षित निधियां (छ) गैर-ब्याज आरक्षित निधियां 8235-सामान्य और अन्य रिजर्व निधि, 200-अन्य निधियां क्षतिपूर्ति वन रोपण के लिये विशेष निधि में जमा राशि के संबंध में ।

वन भूमि के गैर वाणिज्यी उपयोग हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये प्राप्त होने वाली राशि को दिनांक 1.6.1998 से लोक लेखा प्राप्तियां मद आरक्षित निधियां (छ) गैर ब्याज आरक्षित निधियां, 8235-सामान्य और रिजर्व निधि, 200-अन्य निधियां, क्षतिपूर्ति वनरोपण के लिये विशेष निधि में जमा किया जाएगा ।

इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3/33/10-2/08 दिनांक 30.6.1998 द्वारा जारी आदेश को मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-3/33/98/10-2 दिनांक 29.12.1999 द्वारा निरस्त कर उक्त समस्त वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि लोक लेखा शीर्ष के अंतर्गत पी.डी. खाते में वनमण्डलाधिकारी के नाम से संबंधित क्षेत्रालय में खाता खोल कर रखी जाये वाकत निर्देश प्रसारित किया गया ।

अतः 8229 (विकास और कल्याण निधि) तथा 8235-सामान्य और अन्य रिजर्व निधि, 200-अन्य निधियां, क्षतिपूर्ति वनरोपण के लिये विशेष निधि में उक्त अवधि के अंतर्गत किन्-किन परियोजनाओं में कितनी-कितनी राशि जमा की गई है, जो अभी तक व्यय नहीं की गयी है, दिनांक सहित जानकारी शीघ्र इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें, ताकि उक्त जमा राशि को विमुक्त करने हेतु अनुपूरक अनुमान मध्य प्रदेश शासन वन विभाग को प्रस्तुत की जा सकें ।

सत्य प्रतिलिपि



-हस्ता-

मुख्य वनसंरक्षक (नू-सर्वेक्षण)

मध्य प्रदेश भोपाल

सहायक लेखा अधिकारी

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारों) इ.म.

मध्य प्रदेश, ग्वालियर

श्री श्री. श्री. मुख्य एवं सहायक प्र-कार्यवाहक, मुख्य प्रदेश, गोवा

क्रमांक/गो-10/25/203/ 5-2/03

गोवा, दिनांक/16-12-2003

प्रति,

सहायक प्र-कार्यवाहक  
मुख्य प्रदेश

विषय:- लोक सेवा प्रतियोगिता एवं आरक्षण नियमित्युक्त गैर 'व्याज आरक्षण' नियमित्युक्त  
0235 सामान्य और अन्य रिजर्व नियमित्युक्त 200 अन्य नियमित्युक्त वकीलपुर्ति का  
रोपण के लिये विशेष नियमित्युक्त में जमा राशि के लिये में।

\*\*\*

आपके कार्यालय के माध्यम से उक्त नियमित्युक्त वकीलपुर्ति के लिये प्रस्ताव को  
आरक्षण के लिये दिनांक 01.06.1998 से लोक सेवा प्रतियोगिता एवं आरक्षण नियमित्युक्त  
गैर 'व्याज आरक्षण' नियमित्युक्त -0235 -सामान्य और रिजर्व नियमित्युक्त -शामिल अन्य  
नियमित्युक्त वकीलपुर्ति का रोपण के लिये विशेष नियमित्युक्त में जमा किया जाएगा।

उक्त संबंध में गणपतिसाल, इन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-3/33/10-2/00  
दिनांक 01.06.98 और जारी आदेश को गणपतिसाल इन विभाग के क्रमांक/एफ-3/  
33/2001/10-2 दिनांक 29.12.99 को निरस्त कर, उक्त सहायक प्र-कार्यवाहक  
को राशि लोक सेवा एन.के. अंतर्गत पौडनीन वाले में एक गैरआरक्षणारी के माध्यम से  
राशि की गणना में सहायक प्र-कार्यवाहक को जमा कराया निर्देश प्रसारित किया गया।

आतः -02293/काका और कल्याण नियमित्युक्त तथा 0235 सामान्य और अन्य  
रिजर्व नियमित्युक्त 200 अन्य नियमित्युक्त वकीलपुर्ति का रोपण के लिये विशेष नियमित्युक्त में उक्त  
वकीलपुर्ति के अंतर्गत किम-किम परिशोधनाओं ने कितनी राशि जमा की गई है, जो अभी  
उक्त प्रस्ताव की गई है, दिनांक तबत जानकारी शीघ्र इस कार्यालय को भेजने का  
कष्ट करें, ताकि उक्त जमा राशि को विनियत करने हेतु अनुपूरक अनुभाग गणपतिसाल  
इन विभाग को प्रेषित की जा सके।

मुख्य एवं सहायक प्र-कार्यवाहक  
मुख्य प्रदेश, गोवा  
दिनांक 30 DEC, 2003  
क्रमांक/गो-10/25/203//

मुख्य एवं सहायक प्र-कार्यवाहक  
मुख्य प्रदेश, गोवा

\*\*\*

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम म.प्र. ग्वालियर

परिषिष्ट 'च'

(कृपया कण्डिका 1.13 देखें)

वर्ष 2007-08 में मुख्य शीर्ष 0406-01-800-0237-क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अन्तर्गत वन मंडलवार प्राप्त राशियों का विवरण।

स.क्र.	वन मंडल का नाम	राशि रूपये
1.	व.म.अ. उत्तर (उत्पादन बालाघाट)	67080
2.	व.म.अ. दक्षिण (सामान्य) बालाघाट	6000
3.	व.म.अ. दक्षिण (सामान्य) बैतूल	25778
4.	व.म.अ. सामान्य जबलपुर	9180
5.	व.म.अ. (उत्पादन) हरदा	1840026
6.	व.म.अ. उत्पादन खंडवा	328481
7.	व.म.अ. (सा.) नीमच	108225
8.	व.म.अ. उत्तर (सा.) सागर	15338
9.	व.म.अ. पूर्व (सामान्य) सीधी	12198
	योग	2412306

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम म.प्र. ग्वालियर

परिषिष्ट 'छ'

(कृपया कण्डिका 2.1.1 देखें)

वन मण्डल अधिकारियों की लेखा परीक्षा के दौरान जारी किये गये लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर प्राप्त न होने सम्बन्धी विवरण वर्ष 2007–08 (व्यय शाखा)

स.क्र.	इकाई का नाम	ले.प.अवधि	नि.प्र0.जारी होने का दिनांक	प्रथम उत्तर प्राप्ति का दिनांक	नियत दिनांक	विलम्ब की अवधि	
						माह	दिन
1.	प्रचार्य वन क्षेत्रापाल महाविधालय बालाघाट	1/03 से 5/07	203–205 3.07.07	अप्राप्त	18.8.07	12	28
2.	व.म.अ. (सा.) बड़वाह	2/05 से 5/07	211–213 9.7.07	अप्राप्त	27.8.07	12	22
3.	व.म.अ. (सा.) धार	2/05 से 6/07	265–267 14.8.07	अप्राप्त	28.9.07	11	16
4.	व.म.अ. (सा.) ग्वालियर	9/05 से 7/07	344–346 1.10.07	अप्राप्त	16.12.07	10	–
5.	व.म.अ. (सा.) श्योपुर	8/05 से 7/07	338–340 28.9.07	अप्राप्त	12.11.07	10	03
6.	व.म.अ.कूनों वन्य प्राणी श्योपुर	4/07 से 7/07	347–350 3.10.07	अप्राप्त	18.12.07	9	27
7.	व.म.अ. (सा.) दक्षिण बालाघाट	5/06 से 8/07	375–376 1.11.07	अप्राप्त	16.12.07	8	29

8.	व.म.अ. दक्षिण सिवनी	4/06 से 8/07	<u>382-383</u> 2.11.07	अप्राप्त	17.12.07	8	28
9.	व.म.अ. (सा.) पूर्व छिन्दवाड़ा	7/06 से 9/07	<u>401</u> 21.11.07	अप्राप्त	5.1.08	8	09
10.	व.म.अ. (सा.) छिन्दवाड़ा	6/06 से 9/07	<u>419</u> 30.11.07	अप्राप्त	14.1.08	8	—
11.	व.म.अ. (सा.) उमरिया	4/06 से 10/07	<u>449-450</u> 3.1.08	अप्राप्त	18.2.08	6	27
12.	व.म.अ. (सा.) हरदा	10/06 से 10/07	<u>447-448</u> 3.1.08	अप्राप्त	18.2.08	6	27
13.	व.म.अ. (सा.) पूर्व सीधी	11/06 से 10/07	<u>442-443</u> 2.1.08	अप्राप्त	17.2.08	6	28
14.	व.म.अ. (सा.) पश्चिम सीधी	11/06 से 11/07	<u>454-455</u> 3.01.08	अप्राप्त	18.2.08	6	27
15.	व.म.अ. (सा.) छतरपुर	1/07 से 11/07	<u>529-532</u> 8.2.08	अप्राप्त	25.3.08	5	20
16.	व.म.अ. (सा.) सतना	6/06 से 11/07	<u>488-489</u> 17.1.08	अप्राप्त	3.3.08	6	13
17.	व.म.अ. (सा.) बड़वानी	12/06 से 11/07	<u>497-498</u> 25.01.08	अप्राप्त	11.3.08	6	5

18.	व.म.अ. दक्षिण कटनी	5/06 से 11/07	<u>499-501</u> 29.1.08	अप्राप्त	15.3.08	6	1
19.	व.म.अ. (सा.) सिहोर	9/06 से 12/07	<u>556-560</u> 12.03.08	अप्राप्त	26.4.08	4	18
20.	व.म.अ. (सा.) होशंगाबाद	10/06 से 12/07	<u>542-546</u> 21.02.08	अप्राप्त	7.04.08	5	7
21.	क्षेत्र संचालक कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला	2/05 से 1/08	<u>579-580</u> 31.3.08	अप्राप्त	15.5.08	4	—
22.	व.म.अ. (उत्पा.) पश्चिम बालाघाटे	3/07 से 1/08	<u>563-565</u> 20.03.8	अप्राप्त	4.5.08	4	10

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम म.प्र. ग्वालियर

परिषिष्ट 'ज'

(कृपया कण्डिका 2.1.1 देखें)

(2007-08 के अंत में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कण्डिकाओं का विवरण)

वर्ष.	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	कण्डिकाओं की संख्या	राशि (लाख रूपयों में )
Upto 90&91	88	285	834.64
91-92	14	46	160.28
92-93	19	28	88.95
93-94	27	65	277.90
94-95	41	97	430.18
95-96	43	102	343.13
96-97	40	89	544.09
97-98	45	123	51270.15
98-99	32	72	3293.15
99-2000	29	62	3768.07
2000-01	45	150	6562.94
2001-02	63	191	7659.31
2002-03	86	302	5898.89
2003-04	46	177	3013.84
2004-05	58	215	6339.25
2005-06	46	220	7636.23
2006-07	54	212	16779.84
2007-08	36	88	3551.48
out 09 / 2007	812	2524	118452.32

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम म.प्र. ग्वालियर

परिषिष्ट 'झ'

(कृपया कण्डिका 2.1.3 देखें)

वर्ष 2007-08 के अंत तक लंबित हानि प्रकरणों का विवरण पत्रक :-

वर्ष	राशि	संख्या	समायोजित राशि	संख्या	शेष राशि	संख्या
1975-76	1775599	110	—	—	1775599	110
1977-78	170612	18	—	—	170612	18
78-79	487268	35	—	—	487268	35
79-80	451210	30	—	—	451210	30
80-81	498659	43	—	—	498659	43
81-82	353762	50	8799	1	344963	49
82-83	371076	29	—	—	371076	29
83-84	837159	10	—	—	837159	10
84-85	144140	05	—	—	144140	05
85-86	43408	01	—	—	43408	01
87-88	3838491	110	7946	1	3830545	109
88-89	3499627	200	—	—	3499627	200
89-90	1828539	244	—	—	1828539	244
90-91	3326713	89	27408	3	3299305	107
91-92	2108784	110	27552	2	2081232	87
92-93	5293257	101	—	—	5293257	101
93-94	4255805	86	—	—	4255805	86
94-95	2032239	56	—	—	2032239	56
95-96	3089510	71	—	—	3089510	71
96-97	3381359	89	75000	1	3306359	88
97-98	4471442	130	3886	1	4467556	129
98-99	27918727	124	110759	3	27807968	121
99-2000	7330984	95	—	—	7330984	95
2000-01	4437957	90	159257	3	4278430	87
2001-02	2160805	48	86148	4	2074657	44
2002-03	6995231	44	—	—	6995231	44
2003-04	4788763	19	174596	3	4614167	16
2004-05	2303564	21	10855	1	2292709	20
2005-06	7220875	53	38166	2	7182709	51
2006-07	8811126	59	82042	5	8729084	54
2007-08	3356756	62	706870	28	2649886	34
		2232		58	116063893	2174

**कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर**  
**परिशिष्ट "अ"**  
**(कृपया कंडिका 2.1.1 देखें)**

लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर प्राप्त न होने संबंधी विवरण  
(राजस्व भाग) वर्ष 2007-08

क्र.	इकाई का नाम	ले.प.अवधि	नि.प्र.जारी होने का दिनांक	प्रथम उत्तर प्राप्ति का होने की नियत तिथि	प्रथम उत्तर प्राप्त होने का दिनांक
1.	डी.एफ.ओ.(एन) नर्मदा (पी) खण्डवा	01/05 से 02/07	<u>78-80</u> 20.04.07	4.06.07	अप्राप्त
2.	डी.एफ.ओ. (पी) पश्चिम बालाघाट	2/05 से 2/07	<u>99-101</u> 26.4.07	10.6.07	अप्राप्त
3.	डी.एफ.ओ. नार्थ सागर (जनरल)	2/05 से 2/07	<u>108-110</u> 8.5.07	21.6.07	अप्राप्त
4.	डी.एफ.ओ. (जी) दमोह	9/04 से 2/07	<u>133-137</u> 17.5.07	30.6.07	अप्राप्त
5.	डी.एफ.ओ. (जी) दतिया	2/03 से 3/07	<u>123-125</u> 9.5.07	24.6.07	अप्राप्त
6.	डी.एफ.ओ.(प्रो) नार्थ सिवनी	1/05 से 3/07	<u>145-147</u> 18.5.07	2.7.07	अप्राप्त
7.	डी.एफ.ओ. (जनरल) ओबेदुल्लागंज	4/04 से 3/07	<u>174-176</u> 4.6.07	18.7.07	अप्राप्त
8.	डी.एफ.ओ.(जनरल) बुरहानपुर	5/05 से 4/07	<u>215-217</u> 21.6.07	5.8.07	अप्राप्त
9.	डी.एफ.ओ.(जनरल) नार्थ बालाघाट	5/05 से 4/07	<u>221-223</u> 2.7.07	16.8.07	अप्राप्त
10.	डी.एफ.ओ. (जनरल) खण्डवा	12/05 से 4/07	<u>224-226</u> 2.7.07	16.8.07	अप्राप्त
11.	डी.एफ.ओ. (जनरल) बड़वाह	2/05 से 5/07	<u>285-287</u> 13.7.07	27.8.07	अप्राप्त
12.	डी.एफ.ओ. (जनरल) राजगढ़	12/02 से 5/07	<u>282-284</u> 12.7.07	26.8.07	अप्राप्त
13.	डी.एफ.ओ. (जनरल) अशोकनगर	1/04 से 5/07	<u>294</u> 19.7.07	3.9.07	निरंक
14.	डी.एफ.ओ. (जनरल) धार	2/05 से 6/07	<u>453-455</u> 13.8.07	27.9.07	अप्राप्त
15.	डी.एफ.ओ.(जनरल) साउथ शहडोल	5/06 से 6/07	<u>496-499</u> 22.8.07	6.10.07	अप्राप्त
16.	डी.एफ.ओ. (जनरल) इन्दौर	5/05 से 6/07	<u>487-489</u> 20.8.07	4.11.07	अप्राप्त
17.	डी.एफ.ओ. (जनरल) गुना	3/05 से 7/07	<u>538-539</u> 7.9.07	21.10.07	अप्राप्त

18.	डी.एफ.ओ. श्योपुर कलॉ	8/05 से 7/07	<u>579-580</u> 18.9.07	3.11.07	अप्राप्त
19.	डी.एफ.ओ. (प्रो.) बेतुल	7/05 से 5/07	<u>598-600</u> 26.9.07	9.11.07	अप्राप्त
20.	डी.एफ.ओ. (जनरल) ग्वालियर	9/05 से 7/07	<u>607-611</u> 4.10.07	18.11.07	अप्राप्त
21.	डी.एफ.ओ. (प्रो.) देवास	10/06 से 8/07	<u>675-677</u> 17.10.07	31.12.07	अप्राप्त
22.	डी.एफ.ओ. (टी.) देवास	5/05 से 2/07	<u>58</u> 16.4.07	30.5.07	अप्राप्त
23.	डी.एफ.ओ. (प्रो.) हरदा	11/06 से 9/07	<u>769</u> 30.11.07	14.1.08	अप्राप्त
24.	डी.एफ.ओ. (टी.) उमरिया	4/06 से 10/07	<u>818</u> 19.12.07	3.2.08	अप्राप्त
25.	डी.एफ.ओ. (टी.) ईस्ट सीधी	11/06 से 10/07	<u>844</u> 31.12.07	15.2.08	अप्राप्त
26.	डी.एफ.ओ. नार्थ शहडोल	5/06 से 11/07	<u>879</u> 4.1.08	18.2.08	अप्राप्त
27.	डी.एफ.ओ. (टी.) सतना	6/06 से 11/07	<u>961</u> 24.1.08	8.3.08	अप्राप्त
28.	डी.एफ.ओ. (टी.) वेस्ट सीधी	10/06 से 11/07	<u>913</u> 9.1.08	23.2.08	अप्राप्त
29.	डी.एफ.ओ. (टी.) उज्जैन	04/05 से 11/07	<u>991</u> 29.1.08	13.3.08	अप्राप्त
30.	डी.एफ.ओ. (टी.), देवास	3/07 से 12/07	<u>1089</u> 25.2.08	9.4.08	अप्राप्त
31.	डी.एफ.ओ. (टी.) होशंगाबाद	3/07 से 12/07	<u>1108</u> 5.3.08	19.4.08	अप्राप्त
32.	डी.एफ.ओ. (टी.) नरसिंहपुर	6/05 से 2/07	<u>3</u> 4.4.07	18.5.07	अप्राप्त
33.	डी.एफ.ओ. (टी.) साउथ बैतुल	10/05 से 1/07	<u>33</u> 13.4.07	27.5.07	अप्राप्त
34.	डी.एफ.ओ. (टी.) खरगोन	11/05 से 2/07	<u>61</u> 16.4.07	1.2.07	अप्राप्त
35.	डी.एफ.ओ. (टी.) नार्थ बैतुल	8/06 से 08/07	<u>678</u> 22.10.07	6.12.07	अप्राप्त
36.	डी.एफ.ओ. (प्रो.) डिण्डोरी	1/07 से 11/07	<u>1116</u> 7.3.07	21.4.07	अप्राप्त
37.	डी.एफ.ओ. (टी.) बड़वानी	12/06 से 11/07	<u>989</u> 29.1.08	13.3.08	अप्राप्त
38.	डिप्टी डायरेक्टर कान्हा टाइगर रिजर्व बफर जोन मण्डला	4/04 से 11/07	<u>1017</u> 1.2.08	15.3.08	अप्राप्त
39.	डी.एफ.ओ. (टी.) कटनी	5/06 से 11/07	<u>1020</u> 1.2.08	15.3.08	अप्राप्त
40.	डी.एफ.ओ. (टी.) डिण्डोरी	1/07 से 12/07	<u>1116</u> 7.3.08	21.4.08	अप्राप्त
41.	डी.एफ.ओ. (टी.) नरसिंहपुर	3/07 से 12/07	<u>1111</u> 5.3.08	19.4.08	अप्राप्त
42.	डी.एफ.ओ. (टी.) वेस्ट मण्डला	9/06 से 9/07	<u>1124</u> 14.3.08	28.4.08	अप्राप्त

43.	डी.एफ.ओ. (प्रौ) वेस्ट बालाघाट	3/07 से 1/08	<u>1145</u> 20.3.08	4.05.08	अप्राप्त
44.	डी.एफ.ओ. (टी.) छतरपुर	1/07 से 11/07	<u>958</u> 24.1.08	8.3.08	अप्राप्त
45.	डी.एफ.ओ. (टी.) सिहोर	9/06 से 12/07	<u>1070</u> 19.2.08	3.4.08	अप्राप्त
46.	डी.एफ.ओ. (प्रोडक्सन) रायसेन	3/07 से 1/08	<u>1104</u> 3.3.08	17.4.08	अप्राप्त
47.	डी.एफ.ओ. (टी.) साउथ सागर	4/05 से 2/07	<u>17</u> 11.4.07	25.5.07	अप्राप्त

**कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर**  
**परिशिष्ट "ट"**  
**(कृपया कंडिका 2.2.1 देखें)।**

मार्च 2008 के अंत तक विभिन्न वन कार्यालयों के राजस्व प्राप्तियों की स्थानीय लेखा परीक्षा लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाओं का वर्षवार विवरण

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	राशि (रूपये लाखों में)
76-77	1	1	16.46
79-80	3	4	16.10
82-83	2	3	8.63
83-84	2	8	13.16
84-85	3	5	17.83
85-86	6	12	18.68
86-87	7	17	56.85
87-88	10	21	358.26
88-89	21	33	248.76
89-90	10	14	106.36
90-91	16	20	192.48
91-92	16	28	128.70
92-93	9	19	238.75
93-94	13	23	417.68
94-95	23	48	739.43
95-96	32	78	811.03
96-97	27	39	654.58
97-98	25	60	1228.95
98-99	17	30	681.57
99-2000	12	25	2385.66
2000-01	30	75	6222.81
2001-02	38	73	6673.96
2002-03	55	110	13086.50
2003-04	36	85	4932.10
2004-05	22	59	8891.58
2005-06	32	73	20612.14
2006-07	44	103	5736.94
2007-08	25	33	13066.00
<b>Total</b>	<b>537</b>	<b>1099</b>	<b>87601.95</b>

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक्दारी) - प्रथम  
मध्य प्रदेश, ज्वालियर

अनुलग्नक "ठ"

(कृषि कंडिका 2.2.3 देखें)

वर्ष 2007-2008 में जारी किये गये प्रारूप कंडिका की सूची  
Revenue Side

S. No.	D.P. No.	Subject	Amount (Rs. in Lakh)	Para/unit Period	Dispatch No.
1	1	Loss of revenue due to low yield of timber	73.02	(1) D.F.O (P) Khandwa 11/06 to 9/07 Para-2 (2) D.F.O (G) West Singh 11/06 to 11/07 Para-2	RA3/Revenue DP-5/07-08/ 104/ 15-5-08
2	2	Loss of revenue due to low yield of bamboo in flowered bamboo area.	9.53	D.F.O (P) Mandla 9/06 to 8/07 Para-2.	RA3/Revenue D.P.4/07-08/ 1234 6-5-08
<u>Expenditure Side</u>					
1	2	Loss of interest of Rs. 18.40 Crore due to non-depositing the net present value and Compensatory afforestation amount in fixed deposits	18.40 Crore	O/o the P.C.C.F. Land- management wing M.P. Bhopal	SFI (F)/ Exp. (DP2) 07-08/ 111-113 4.6.08